

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII(iv) Future Instructions.

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 18 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures.

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Broad Guidelines for Procurement.

Annexure—III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Authority.

Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomey
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger

Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Fustic, St. Martin (Southern part).

America, North & Central

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

ANNEXURE-II

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Macau
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

- (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshal Islands and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member of Association Countries of OPEC :

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

743 GI/82—3

Main guidelines for procurement of goods and services under the Project Loans as formulated by OECF :

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible Suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions:—

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.—Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labours and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.—The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order of confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract :

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ per cent (%) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent (_____) of the directors are nationals of _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards.—If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names.—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money.—Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V Liquidated Damage.—Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure.—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes.—Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which

have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation.—Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening Evaluation and Award of Contract :

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids.—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be Confidential.—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids.—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders.—In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids.—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower, if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made.

In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids.—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract.—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

Request for Issue of the Letter of Authority

No. DATE :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub.—Import of from Japan under the
Yen Credit No. ID-P. 18 (Project Aid) for 1979-80.

Sir,

In connection with the import of from.....under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 18 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the(name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier;
 - (i) Nationality.

- (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
- (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
- (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (1) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (including No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank of India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Yen Credit (Project Aid).—Loan Agreement No. ID-P. 18—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ favouring M/s. _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto—.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer— with reference to their letter No. — dated —.

2. Importers' Banker—. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan 1.8 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 18 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The Banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE-V

Form OECF-LCI

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

To
(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. —, dated — between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. — in your favour for account of — for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y — (Say yen) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clear on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight"

and "Notify" Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. — (if any) from — to — Partial shipments are — permitted. Transshipment is — permitted.

Bills of lading must be dated not later than — Draft must be presented for negotiation not later than — All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under — irrevocable credit No. — dated and Import Reference No(s) — (if any)" This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall by duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :—

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to —
3. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By :

(Authorised Signature—)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. —.

I. Initial Payment

Amount : Y —

being — % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : _____

being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : _____

being _____ % of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE-VI

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

To _____

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has

been issued pursuant to

Loan Agreement No. _____

dated _____

between (Borrower) and THE

OVERSEAS ECONOMIC

COOPERATION ON FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours Faithfully,

(a commercial bank)

By : _____

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount : Y _____

being _____ % of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Agreement amount: Y _____

being _____ % of the total contract price to be paid as follows :

Amount due _____ Latest presentation date _____

1st Instalment : _____

2nd Instalment : _____

Required document: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date:

Ref. No.

To _____

(Name and address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No. _____, dated

issued by _____

for Y _____ in favour of

_____ concerning _____ Project

under Loan Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of Y _____ (Yen _____) on from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____ dated _____, between _____ and _____

(Borrower)

By:

(Authorized Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1982/सात्र 29, 1904

No. 169]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1982/BHADRA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी सा० सू०-71/82

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1982

शुद्धि-पत्र

फा० सं० 600/2615/82-प्रतिअदायगी—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण विभाक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/मा० सू० 50/82, दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है—

उपक्रमिक 2615 सामने "माल का विवरण" स्तम्भ में "ऊनी धागा" शब्दों के स्थान पर 'क्वैटेड ऊनी धागा' शब्द रखे जाएंगे।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून 1982 को लागू हुई मानी जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE NO. DRAWBACK PN 71/82

New Delhi, the 20th September, 1982

CORRIGENDUM

F.No. 600/2615/82-DBK —Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification

746 GI/82—

No 52/F.No 602/2/70 DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAW BACK PN-50 dated the 1st June, 1982 :—

In the column 'Description of goods' against Sub-SI. No. 2615 for the words "woollen Yarn" the words "woollen worsted Yarn" shall be substituted.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982

सार्वजनिक सूचना संख्या प्रतिअदायगी सा० सू०-72/82

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1982

फा० सं० 600/2737/82 प्रतिअदायगी—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण विभाक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/मा० सू० 50/82 दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है—

उपक्रमांक 2736 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथातः—

1	2	3	4
		विविध	
उपक्रमांक	मात्र का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर	मी० गु० के० उ० गु०
2737	सभी प्रकार की रुई भरी पोशाकें :		
(क) पतलून	पोत पर्यन्त निःशुल्क सम्पूर्ण के० उ० गु० मुख्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)		
(ख) पतलूनों से भिन्न	पोत पर्यन्त निःशुल्क सम्पूर्ण के० उ० गु० मुख्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत)। यथा [उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों पर लागू] नियतिकर्ता के विकल्प पर।		
	(i) पोत पर्यन्त निःशुल्क मुख्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)। यथा		
	(ii) प्रयुक्त तन्तु, धागे और रंगक अन्तर्बस्तु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में, इस अनुसूची की क्रम सं० 26 की उपक्रम सं० के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिप्रदायगी की उचित दर का; उसके अन्तर्गत निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, 107 प्रतिशत। यथा		
	(iii) पोशाक की वास्तविक कैबिक अन्तर्बस्तु पर, कैबिक स्तर पर (जिसमें संसाधन स्तर पर उद्ग्रहणीय शुल्क शामिल है। यदि कोई उत्पादन-शुल्क अदा किया गया हो और उसकी प्रदायगी को सहायक सीमाशुल्क समानता के समाधानप्रब रूप में भिन्न कर दिया गया है, तो उसका 107 प्रतिशत। यथा		

1	2	3	4
		(iv) जिस सामग्री से हूंगर बनाये गये हों उसके सम्बन्ध में इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उचित दर से प्रति-प्रदायगी [यह उपर्युक्त (क) और (ख) पर लागू है]	
		टिप्पणी. उपर्युक्त मद (i) जमा (ii) जमा (iii) के अनुसार प्रतिप्रदायगी की अदायगी इन शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी कि इस आधार पर देय प्रतिप्रदायगी की रकम "पतलूनों" के मामले में, पोत पर्यन्त निःशुल्क मुख्य का 7 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा "पतलूनों से भिन्न सैयार पोशाकों" के मामले में पोत पर्यन्त निःशुल्क मुख्य का 8 प्रतिशत और उससे अधिक हों।	
		स्पष्टीकरण:- दिनांक 1-6-82 को सर्व-जनिक सूचना 50/82 की उपक्रमांक 2727 के अधीन आने वाले स्पष्टीकरण 1, 2 और 3 इस उपक्रमांक में समाविष्ट उत्पादों पर भी आवश्यक परि-वर्तनों सहित लागू होंगे।	
		2. उपक्रमांक 2726 के मामले स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में आने वाले शब्दों "जिसमें रुई भरी पोशाकें शामिल हैं" का लोप किया जाएगा।	

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1982 के प्रथम दिन की लागू हुई समझी जाएगी।

PUBLIC NOTICE NO. DRAWBACK PN 72/82

New Delhi, the 20th September, 1982

F. No. 600/2/2737/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Table published in the public Notice No. DRAWBACK PN-51/82 dated the 1st June, 1982 :—

After Sub-Sl. No. 2736 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Description of goods.	Rate of Drawback	Allocation Cus. C. Ex.
1	2	3	4
2737	Quilted garments all sorts :		
	(a) Trousers	5% (Five percent only) of f.o.b. value.	All C. Ex.
	(b) Other than trousers.	6% (Six percent only) of f.o.b. value.	All C. Ex.

Or

[Applicable to both (a) & (b) above.] at the option of the exporter.

- (i) 2.5% (Two point five percent only) of f.o.b. value. All C. Ex.

Plus

- (ii) 107% of drawback rate in respect of fibre, yarn and dye content used, if any, at the appropriate rate specified under sub-sl. No. of serial No. 26 of this schedule, subject to the conditions, if any, mentioned therein.

Plus

- (iii) 107% of fabric stage excise duty (including processing stage duty) paid if any, on the net fabric content in the garment and proved so to the satisfaction of Asstt. Collector of Customs.

Plus

- (iv) Drawback at the appropriate rate specified in this schedule in respect of materials from which hangers have been made. [Also applicable to (a) & (b) above].

NOTE :—Payment of drawback in terms of item (i) plus (ii) plus (iii) above shall be made subject to the conditions that the total amount of drawback payable on this basis is 7% of the f.o.b. value or above in case of "trousers" and above 8% of f.o.b. value in case of "readymade garments other than trousers."

EXPLANATION :—Explanations 1, 2, and 3 appearing under Sub-serial No. 2727 of the Drawback Public Notice 50/82 dated 1-6-82 shall, mutatis mutandis, apply to products covered by this sub-serial number also.

2. The words "including quilted garments" appearing in the column 'Description of goods' against Sub-Sl. No. 2726 shall be deleted.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/सा० सू० 73/82

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1982

फा० सं० 600/3702/81-प्र० प्र०—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 20/81, दिनांक 1 जून 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3711 तथा उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक माल का विवरण प्रतिअदायगी की दर विनिधान
सी०शु० के०उ०शु०

1	2	3	4
3711	(क) पीतल से निर्मित बस्तुएं (पीतल के कलात्मक बर्तनों और ई० पी० एन० एम० बर्तनों से भिन्न)	10.00 रु० (केवल दस रुपये) प्रति कि० ग्रा०	सम्पूर्ण सीमाशुल्क
	(ख) लाम्बे की मिश्र धातुओं से निर्मित	प्रति अदायगी की दर, सामग्री अन्तर्वस्तु के	

1	2	3	4
	वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों।	अनुपात में, इस अनु- सूची में विनिर्दिष्ट समत उपक्रमांक के तहत लागू होगी।	

यह मार्चेंटिक सूचना एक विमम्बर, 1981 को लागू हुई समझी जायेगी और 31-5-1982 तक वैध रहेगी।

जे० एम० आर० छायाग, प्रवर सचिव

PUBLIC NOTICE NO. DRAWBACK/PN-73/82

New Delhi, the 20th September, 1982

F.No. 600/3702/81-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971 the Central Government thereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81 dated the 1st June, 1981:—

For Sub-Serial No. 3711 and entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub- Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation @us. C.Ex.
1	2	3	4
3711 (a)	Articles made of brass (other than brass artwares and EPNS wares).	Rs. 10.00 (Rupees ten only per kg.)	All Customs
b)	Articles made of alloys of copper, not other wise specified.	Drawback at the rate applicable under the relevant sub-serial number specified in this Schedule in proportion to the material content.	

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of December, 1981 and shall remain valid till 31-5-82.

J. S. R. KHATHING, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 1982/आश्विन 2, 1904
No. 170] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1982/ASVINA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 47-आई० डी० सी० (पी० एन०)/82

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1982

विषय: अप्रैल, 1982 मार्च, 1983 के लिए आयात निर्यात नीति

मिसिल सं० 6/103/82-ई० पी० सी० :- वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आई० डी० सी० (पी० एन०)/82, दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1982 मार्च, 1983 की यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियां नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों में की गई समझी जाएंगी :-

क्रम सं०	1982-83 की आयात-निर्यात नीति (का० 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
1	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानदंड क्रम सं० 3, कालम 2	निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :- "100% शहद के कच्चे रेशम के बर/बनी हुई वस्तुएं/पोंशाकें (डुपियन से बनाए गए से भिन्न)
2	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निवेश/उत्पादन मानदंड	वर्तमान क्रम सं० 4 के बाव निम्नलिखित क्रम संख्याएं कालम-1 से 6 तक की प्रविष्टियों के साथ प्रागे जोड़ी जाएंगी :-

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चा भाग का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमति मात्रा	कर-मुक्त लाभ के साथ अनुमति मात्रा
1	2	3	4	5	6
4 क	शहतूत मिश्रित रेशम बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं/पौशाकें जिनमें डुपियन यार्न मुख्य रूप से हों	(1) किसी भी श्रेणी की शहतूत का कच्चा रेशम (डुपियन यार्न से भिन्न)	कि०ग्रा० 1	कि०ग्रा० 0 30	कि०ग्रा० 0 28
		(2) डुपियन यार्न	—	1.10	1 07"

1	2	3	4
3.	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निर्देश/उत्पादन मानवण्ड क्रम सं० 5	(1) कालम 2 में निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :— "नोइल रेशम के बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं/पौशाकें" (2) अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "टिप्पणी :—उपर्युक्त क्रम सं० 5 के मामले में कालम 6 में 1 19 कि०ग्रा० की दर पर अनुमति कर मुक्त लाभ के साथ नोइल यार्न के आयात की अनुमति निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त नोइल के 1 00 कि०ग्रा० के मद्दे की जाएगी।"
4.	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निर्देश/उत्पादन मानवण्ड क्रम सं० 6	(1) कालम 2 में निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :— "कते हुए रेशम के बस्त्र/बनी हुई मटे/पौशाकें" (2) निम्नलिखित टिप्पणी अन्त में जोड़ी जाएगी :— टिप्पणी :—"उपर्युक्त क्रम सं० 6 के मामले में कालम 6 में 1.11 कि०ग्रा० की दर पर अनुमति कर छूट लाभ के साथ कते हुए रेशम के धागे का आयात निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त कते हुए रेशम के 1.00 कि०ग्रा० के मद्दे किया जाएगा।"
5.	220-221	परिशिष्ट 19 अनुबंध-5 निर्देश/उत्पादन मानवण्ड क्रम सं० 39 (क) नायलन टायर डोरी के साथ टायर	कालम 3 से 6 तक में मद (5) के मामले वर्तमान प्रविष्टियां संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएंगी :—

3	4	5	6
	कि०ग्रा०	कि०ग्रा०	कि०ग्रा०
"(5) निम्नलिखित रंजक/रसायन :—	100	—	—
(1) रबड़ रसायन (एन्टि-ऑक्सिडेंट्स, एक्सिलरेटर, रिटार्डर्स और पेपटाइजर्स)	—	2.00	2.00
(2) जिंक आक्साइड	—	2 00	2 00
(3) अन्य सभी विविध सामग्री/रसायन जैसे माइक्रोक्रिस्टेन वैकम, रंजक और मुबुकर, गन्धक, स्टिचरिंक एमिड विनायक	—	8.00	8 00

1	2	3	4			
6	225	परिशिष्ट-29/अनुबन्ध 2 आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर-मुक्त आयात योजना भाग-क/मद सं 7	(1) कालम 2 में, निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा -- 'कने हुए रेशमी वस्त्र/तैयार वस्तुएं/पीशाब' (2) अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी -- टिप्पणी-- भाग क में मद सं 7 के मामले में कालम 5 में स्वीकृत किया गया कर मुक्त 1 11 कि०ग्रा० कता हुआ रेशमी धागा निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त 1 00 कि०ग्रा० कने हुए रेशमी धागे के मद्दे होगा।"			
7.	255	परिशिष्ट-29 अनुबन्ध 2 आयात प्रति- पूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात योजना भाग-क मद सं 8	(1) कालम-2 में, निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा -- 'नायल रेशमी वस्त्र/तैयार वस्तुएं/पीशाब' (2) अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी -- टिप्पणी भाग-क में मद सं 8 के मामले में कालम 5 में स्वीकृत किया गया कर मुक्त 1 19 कि०ग्रा० नायल का धागा निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त कने हुए रेशमी धागे के 1 00 कि०ग्रा० के मद्दे होगा।"			
8	255	परिशिष्ट-29 अनुबन्ध-2 आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात योजना भाग 'क' मद सं 16 कालम 2	निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्न लिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा -- "100 प्रतिशत शहतूत के कच्चे रेशम के वस्त्र/तैयार वस्तुएं/पीशाब (डुपियन से तैयार किए हुए वस्त्रों को छोड़कर)"			
9	255	परिशिष्ट-29 अनुबन्ध-2 आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात योजना भाग "क"	वर्तमान मद सं 17 के बाद कालम 1 से 7 में प्रविष्टियों सहित निम्न- लिखित और मद शामिल की जाएगी --			
"मद सं०	निर्यात उत्पाद का विवरण	परिशिष्ट-17 की सम्बद्ध क्रम सं०	कर मुक्त आयात के लिए स्वीकृत मदों का विवरण	कर मुक्त आयात के लिए स्वीकृत मदों की मात्रा	आयात प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	सम्बद्ध निर्यात उत्पाद की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
18	शहतूत के रेशम मिश्रित वस्त्र/ तैयार वस्तुएं/ पीशाब जिस में मुख्य रेश से डुपियन का धागा हों।	थ-7 (1)	(क) किसी भी किस्म का शहतूत का रेशम (डुपियन धागे को छोड़कर) (ख) डुपियन की धागा	0 28 1 07	20 प्रतिशत	1"

मणि नारायणस्वामी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 47-ITC (PN)/82
New Delhi, the 24th September, 1982

Subject : Import and Export policy for April, 1982—March, 1983.

File No. 6/103/82-EPC —Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1982—March, 1983, published under the Ministry of Commerce Public Notice No 16-JTC (PN)/82 dated the 5th April, 1982, as amended

2. The following amendments/corrections shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy 1982-83 (Vol. I).	Reference	Amendment/Correction		
1	2	3	4		
1.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/output norms Sl. No. 3 Column 2	The existing description of the export product shall be amended to read as under :— "100% Mulberry Raw Silk fabrics/made-ups/garments (other than those made of Dupion).		
2.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms	After the existing Sl. No. 4, the following further Sl. No. with entries in columns 1 to 6 shall be inserted :—		
"Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw-material	Qty. of Export Product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
1	2	3	4	5	6
4A	Mulberry mixed Silk fabrics/ made-ups/garments containing mainly Dupion Yarn.	(i) Mulberry Raw Silk of any grade (other than Dupion Yarn). (ii) Dupion Yarn	Kgs. 1	Kgs. 0.30 1.10	Kgs. 0.28 1.07"
3.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms Sl. No. 5	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— "Noil Silk fabrics/made-ups/garments." (ii) The following note shall be inserted at the end :— "Note : In the case of Sl. No. 5 above, import of Noil yarn with duty exemption benefit allowed at 1.19 Kgs in column-6 shall be against 1.00 Kg of Noil yarn used in the product exported."		
4.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms Sl. No. 6	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— "Spinn Silk fabrics made-ups/garments." (ii) The following note shall be inserted at the end :— "Note : In the case of Sl. No. 6 above, import of Spun Silk Yarn with duty exemption benefit allowed at 1.11 Kgs. in column 6 shall be against 1.00 Kg of spun silk yarn used in the product exported."		
5.	220-221	Appendix 19 Annexure V Input/Output norms Sl. No. 39 (a) Tyres with Nylon tyre cord.	The existing entries against item (v) in column 3 to 6 shall be amended to read as under :—		
		3	4	5	6
			Kgs.	Kgs.	Kgs.
		"(v) Pigments/chemicals, the following :	100		
		(1) Rubber Chemicals (Anto-oxidents, Accelerator, retarders and Peptisers)		2.00	2.00
		(2) Zinc Oxide		2.00	2.00
		(3) All other miscellaneous materials/ Chemicals viz. Microcrystalline wax, paraffin wax, pigments and softeners, sulphur, stearic acid, solvents.		8.00	8.00

1	2	3	4
6.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free import against Import Replenishment Licences PART A Item No. 7	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— “Spun Silk fabrics/made-ups/garments.” (ii) The following note shall be inserted at the end :— “Note : In the case of item No. 7 in Part A, import of Spun Silk Yarn allowed duty free at 1.11 Kgs. in column 5 shall be against 1.00 Kg of Spun Silk Yarn used in the product exported.”
7.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free import against Import Replenishment Licences. PART A Item No. 8	(i) In column 2, the existing description of the export product shall be amended to read as under :— “Noil Silk fabrics/made-ups/garments.” (ii) The following note shall be inserted at the end : “Note In the case of item No. 8 in Part 'A', import of Noil Yarn allowed duty free at 1.19 Kgs in column 5 shall be against 1.00 Kg of Spun Silk Yarn used in the product exported.”
8.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free Import against Import Replenishment Licences. PART A Item No. 16 Column-2.	The existing description of the export product shall be amended to read as under :— “100% Mulberry Raw Silk fabrics/made-ups/garments (other than those made of Dupion).”
9.	255	Appendix 29 Annexure II Scheme of Duty Free import against Import Replenishment Licences. PART A	After the existing item No. 17 the following further item with entries in columns 1 to 7 shall be inserted :—

"Item No.	Description of the export product	Relevant Sl. No. of Appendix 17	Description of items allowed for import duty free	Qty. of items allowed for import duty free	Import Replenishment Percentage	Qty. of relevant export product
1	2	3	4	5	6	7
18	Mulberry mixed Silk fabrics/made-ups/garments containing mainly Dupion Yarn.	K.7(i)	(i) Mulberry Raw Silk of any grade (other than Dupion Yarn). (ii) Dupion Yarn.	0.28 } 1.07 }	20%	1"

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1982/आश्विन 5, 1904
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 27, 1982/ASHVINA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधिन्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1982

सं० 46/2/81-न्याय—भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में हलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच के गठन किए जाने की मांग में उत्पन्न होने वाले सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए तारीख 4 सितम्बर, 1981 के संकल्प संख्या: 46/2/81 न्याय के तहत श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। आयोग का कार्यकाल तारीख 20 मार्च, 1982 के समसंख्यक संकल्प के तहत 3 सितम्बर, 1982 तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने आयोग का कार्यकाल छः महीने की अवधि के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। तदनुसार, आयोग का कार्यकाल आगे छः महीने के लिए बढ़ाया जाता है और आयोग अपनी रिपोर्ट 3 मार्च, 1983 तक प्रस्तुत करेगा।

कैलाश चन्द्र कनकन, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th September, 1982

No. 46/2/81-JUS.—The Government of India had set up a three-member Commission with Shri Jaswant Singh as Chairman vide Resolution No. 46/2/81-JUS dated the 4th September, 1981 to consider all aspects arising out of the demand for constitution of a Bench of the Allahabad High Court in the western districts of Uttar Pradesh. The Commission was to submit its report within six months. The term of the Commission was extended upto 3rd September 1982 vide Resolution of even number dated 20th March, 1982. The Government of India have resolved to extend its term for a further period of six months. Accordingly the term of the Commission is extended for a further period of six months, and the Commission will submit its report by 3rd March, 1983.

K. C. KANKAN, Dy. Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1982/अश्विन 5, 1904

No. 172]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 1982/ASVINA 5, 1904

इस भाग के भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात-निर्यात नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 48-आई टी०पी० (पी०एन०)/82

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1982

विषय: अप्रैल, 1982-मार्च, 1983 के लिए आयात एवं निर्यात
नीति

मि० सं० 1/2/आर०ई०पी०/74-ई० पी० सी० (जिन्ह-9)-यथा-
संशोधित, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आई० टी०
सी० (पी० एन०)/82, दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अंतर्गत प्रकाशित
अप्रैल, 1982-मार्च, 1983 की आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान
दिनाया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीति में नीचे संकेतित उचित स्थानों पर
किए गए समझे जाएंगे :-

नया आयात-निर्यात

सं० नीति 1982-83

(जिन्ह-1) की

पृष्ठ सं०

संशोधन

संशोधन

1	2	3	4
1	7	अध्याय-6 पैरा 27	निम्नलिखित वाक्यों को धरत में धागे जोड़ा जाएगा :- "इस नीति के पैरा 117 के

2 35 36

अध्याय-17

पजीकृत निर्यातको

के लिए विशेष

सुविधाएं

अध्याय 138(3)

"लाख" शब्द के बाह निम्न-

लिखित को जोड़ा जाएगा :-

"(या उस चिनिमिता के मामले

में दो लाख रुपए से

नहीं होना चाहिए।"

1	2	3	4
	श्रीर 138(4) पाचवी पंक्ति	पहले के दो वित्तीय वर्षों के किसी वर्ष में बुनियादी उत्पादों के निर्यातों का जहाज पर निःशुल्क मूल्य बुनियादी उत्पादों के उनके उत्पादों के किताबी मूल्य के कम से कम 25% है, किन्तु यह अधिकतम 10 लाख रुपये में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधीन है।"	
3 37-38	अध्याय 17 आर० ई० पी० न्यायसेवों के मद्दे पूजीगत माल का आयात उप-पैरा 142(1)(ड)	वर्तमान उप-पैरा 142(1)(ड) के बाद आगे निम्नलिखित उप-पैरा को जोड़ा जाएगा— “(क) उपर्युक्त उप-पैरा (ग) में स्वीकृत सुविधा उम्ब्र विनिर्माता को भी उपलब्ध हो गई इसमें से किसी के भी उत्पाद परिशिष्ट-17 में आर० ई० पी० हकदारी के लिए अर्हकता प्राप्त नहीं करते हैं, यद्यपि 1981-82 के दौरान उसके द्वारा विनिर्मित ऐसे उत्पादों के उसके निर्यातों का जहाज पर्यन्त मूल्य उनके उत्पादन के किताबी मूल्य के 25% से कम नहीं था और मूल्य में पाच लाख रुपये (जहाज पर निःशुल्क) से भी कम नहीं था, लेकिन शर्त यह होगी कि 1982-83 के दौरान अनुमित मशीनरी का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य उनके उत्पादों के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 5% से अधिक नहीं है, लेकिन यह अधिकतम 20 लाख रुपये के अधीन है। उपर्युक्त उप-पैरा (क) में निर्धारित अन्य शर्तें (3), (4) और (5) समान रूप से लागू होंगी।”	

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 48—ITC (PN)/82

New Delhi, the 27th September, 1982

Subject.—Import and Export Policy for April, 1982—
March, 1983.

File No. 1/2/REP/74-EPC (Vol. IX).—Attention is invited to the Import and Export Policy for April, 1982—March, 1983,

published under the Ministry of Commerce Public Notice No 16-ITC(PN)82 dated the 5th April, 1982, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl.	Page No. of Import and Ex- port, Policy, 1982-83 (Vol-I)	Reference	Amendment
1.	2.	3.	4.
1.	7	Chapter 6 Para 27	The following further sentences shall be added at the end:— “The consumption of indigenous material (of the description covered by Appendices 5 and 7) obtained by Actual Users from indigenous producer against valid import licence under para 117 of this policy can also be included in the consumption certificate for the purpose of applying for Automatic licence. The Chartered Accountant etc. certifying the consumption should also give the Number, date and value of the import licence against which Actual User had obtained the material in question, from indigenous producer.,
2.	35-36	Chapter 17 Special Facilities to Registered Ex- porters, sub-para- 138(3) and 138(4), 5th line.	After the word “lakh”, the following shall be added:— “(or shall not exceed Rs. two lakhs in the case of manufacturer whose f.o.b. value of exports of select products in any of the two previous financial years was at least 25 per cent of the book value of his production of selection products, with a minimum of Rs. 10 lakhs f.o.b.)”.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 1982/आश्विन 8, 1904
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1982/ASVINA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

सं० एक० 4 (5)-डब्ल्यू एण्ड एम/82.—6.75 प्रतिशत ऋण, 1989, 7.25 प्रतिशत ऋण, 1992 (तीसरा निर्गम) 8.25 प्रतिशत ऋण, 2005 और 9.00 प्रतिशत ऋण 2013 (तीसरा निर्गम) के लिए 750 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए 11 अक्टूबर 1982 को बैंकिंग समय की समाप्ति तक अधिदान नकदी से स्वीकार किये जायेंगे। परकाम्य निश्चित अधिनियम, 1981 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 1982 को छुट्टा घोषित किये जाने पर भले कार्य दिन बैंकिंग समय की समाप्ति तक उस राज्य के संबंधित आवासा कार्यालयों में अधिदान स्वीकार किये जायेंगे सरकार को 750 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक के अधिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2 यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अधिदान राशि 825 करोड़ रुपये से अधिक हो तो ऋणों के संवर्ष में प्राथमिक आधार पर आंशिक आबंटन किया जाएगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आंशिक आबंटन के बाद बचावशील अधिक अधिदान की राशि लीटा दी जाएगी। इस प्रकार लौटाई गई राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

3 रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 11 अक्टूबर 1989 को सममूल्य पर प्रतिशेय 6.75 प्रतिशत ऋण, 1989

- (1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 11 अक्टूबर 1989 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।
- (2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सैके-निक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।
- (3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 11 अक्टूबर 1982 से वार्षिक 6.75 प्रतिशत होगी। प्रत्येक छमाही में 11 अप्रैल और 11 अक्टूबर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नौवें दिने गय अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के घटायत कर लगेगा।

4. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 24 मई, 1992 को सममूल्य पर प्रतिशेय 7.25 प्रतिशत ऋण, 1992 (तीसरा निर्गम)

- (1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 24 मई 1992 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।
- (2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सैके-निक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

- (3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 11 अक्टूबर 1982 से वार्षिक 7.25 प्रतिशत होगी। 11 अक्टूबर 1982 से 23 नवम्बर 1982 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि के लिए ब्याज 24 नवम्बर 1982 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 24 मई और 24 नवम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये गये अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा।

5. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 11 अक्टूबर 2005 को सममूल्य पर प्रतिदेय 8.25 प्रतिशत ऋण 2005

- (1) वापसी अवधि की तारीख—ऋण 11 अक्टूबर 2005 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।
(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।
(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 11 अक्टूबर 1982 से वार्षिक 8.25 प्रतिशत होगी। प्रत्येक छमाही में 11 अगस्त और 11 अक्टूबर को ब्याज अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा।

6. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 24 मई 2013 को सममूल्य पर प्रतिदेय 9.00 प्रतिशत ऋण, 2013 (तीसरा निर्गम)

- (1) वापसी अवधि की तारीख—ऋण 24 मई 2013 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।
(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।
(3) ब्याज—इस की ब्याज दर 11 अक्टूबर 1982 से वार्षिक 9.00 प्रतिशत होगी। 11 अक्टूबर 1982 से 23 नवम्बर 1982 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि के लिए ब्याज 24 नवम्बर 1982 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 24 मई और 24 नवम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये गए अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा।

पूरक व्यवस्थाएं

7. आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जायेंगे—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, गोवाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गए स्थानों को छोड़कर भारत में अन्य सभी स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

8. ब्याज अदा करने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई, कलकत्ता, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित लोक ऋण कार्यालयों तथा भारत में जम्मू और काश्मीर तथा मित्रिम राज्यों को छोड़कर अन्य किसी राजकोष या उप राजकोष में ब्याज अदा किया जाएगा।

9. ब्याज अदा करने समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गए कर की वापसी अवधिगी उन ऋण-घातकों को प्राप्त होगी जो कर के पात्र नहीं हैं या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हों।

जो धारक कटपात्र नहीं है या निर्धारित दर से कम पर कर-पात्र है, वह जिले के आयकर अधिकारी को आवेदन कर उनसे एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राविष्ट किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जाये।

भारत का निवासी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय छूट की सीमा से अधिक नहीं है, ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित फार्म में दो प्रतियों में घोषणापत्र भेजने पर कर की कटौती किये बिना ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है।

10. अदा जारी किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज और उसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुसूचित निवेशों से मिलने वाली आय का वार्षिक 6000 रुपये की सीमा तक और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के अन्य उपबंधों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त होगी।

11. अदा जारी किये जाने वाले ऋण में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य और इनके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी 1,65,000 रुपये की सीमा तक वार्षिक कर से छूट प्राप्त होगी।

12. प्रतिभूतिया निम्नलिखित के रूप में जारी की जाएंगी।

- (i) स्टॉक प्रमाणपत्र, या
(ii) बचन बद्ध

यदि आवेदक इनमें से किसी का उल्लेख न करें तो उन्हें बचनपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

13. ऋणों के लिए आवेदनपत्र—ऋणों के लिए आवेदनपत्र रु० 100 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिए।

14. आवेदनपत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिए जिसमें अवैधित प्रतिभूतियों की राशि और निराकरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहाँ आवेदक ब्याज की अवधिगी की प्रेरणा करना हो।

15. आवेदनपत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या बैंक के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक संबंधित बैंक के नाम प्राकृत किये जाने चाहिए।

16. स्वीकृत बैंकों और दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मुहरयुक्त ऋण-आवेदन पत्रों पर किये गये प्रावधानों पर प्रति रु० 100.00 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जाएगी।

दलाली की अवधिगी के लिए ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर संबंधित कार्यालयों में दावा पेश किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के आदेश से

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

आवेदन-पत्र का फार्म

मैं/हम*

हसके साथ रू०

(पूरा/पूरे नाम)

(-----रुपये) के लिए नकदी/चैक* प्रस्तुत करता हूँ/करने है* और यह अनुरोध करता हूँ/करने है* कि मुझे/हमें* बैंक उन्निहित मूल्यवर्ग/मूल्य वर्गों में *वचनपत्र (पत्रा)/स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में -----रुपयों के सांकेतिक मूल्य के 6.75 प्रतिशत अर्ध, 1989*/7.25 प्रतिशत अर्ध, 1992 (तीसरी निर्गम*)/8.25 प्रतिशत अर्ध, 2005*/9.00 प्रतिशत अर्ध, 2013 (तीसरी निर्गम)*की प्रतिभूति जारी की जाए :-

प्रति वचन पत्र रू० ----- का (के) + ----- वचनपत्र
 प्रति वचनपत्र रू० ----- का (के) + ----- वचनपत्र
 प्रति वचन पत्र रू० ----- का (के) + ----- वचनपत्र
 प्रति वचन पत्र रू० ----- का (के) + ----- वचनपत्र

2 मैं/हम* चाहता हूँ/चाहते हैं कि उनका ब्याज----- में भुदा किया जाए।

विशेष टिप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखें। प्रविष्टियां आदाना कार्यालय द्वारा की जाएगी।		
	छांटे हस्ताक्षर	दिनांक
आवेदन पत्र सं०		
"बसाली नहीं" मूहूर		
नकदी प्राप्त होने की तारीख		
बैंक वसूल होने की तारीख		
विशेष चानू खाने में जमा करने की तारीख		
जाच की गयी		
नकदी आवेदन पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया		
बसाली रजिस्टर में दर्ज किया गया		
माग पत्र सं०		
प्रतिभूति सं०		
कार्ड सं०		
वाउचर पारित करने की तारीख		

हस्ताक्षर-----

पूरा (पूरे) नाम-----

पता-----

दिनांक :

अक्टूबर 1982

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए।

+रू० 100, रू० 200, रू० 500, रू० 1,000, रू० 5,000, रू० 10,000, रू० 25,000, रू० 50,000, और रू० 1,00,000, के मूल्यवर्गों में वचन पत्र जारी किये जायेंगे। जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका उल्लेख करें।

टिप्पणी : (1) प्रत्येक अर्ध और अपेक्षित नये अर्ध की प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टॉक प्रमाणपत्र या वचनपत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए।

(2) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हो तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाए।

(3) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निवेश आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे लोक अर्ध कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गए हों, तो संलग्न किये जाएं:--

(i) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि।

(ii) कंपनी/निकाय के आपन पत्र और अंतर्निष्ठ या नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (यो) के पत्र में किये गए संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके/उसके विधिक सलाहपत्र नमूना हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों के साथ।

(4) जो आवेदक स्टॉक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए (लोक अर्ध कार्यालय में उपलब्ध) प्रादेश कार्य भी करना चाहिए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1982

No. F. 4(5)-W&M/82.—Subscriptions for the issues of 6.75 per cent. Loan, 1989, 7.25 per cent. Loan, 1992 (Third Issue), 8.25 per cent. Loan, 2005 and 9.00 per cent Loan, 2013 (Third Issue) for an aggregate amount of Rs. 750 crores will be received in the form of cash on the 11th October, 1982 upto the close of banking hours. In the event of 11th October, 1982 being declared a holidays by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the subscriptions will be received at the concerned receiving offices in that State upto the close of banking hours on the next working day. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent. in excess of the sum of Rs. 750 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 825 crores, partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after partial allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 6.75 per cent Loan, 1989 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 11th October, 1989.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 11th October, 1989.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 6.75 per cent per annum from 11th October, 1982. Interest will be paid half-yearly on the 11th April and 11th October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 7.25 per cent Loan, 1992 (Third Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 24th May, 1992.

(i) Date of Repayment.—The loan will be repaid at par on the 24th May, 1992.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 7.25 per cent per annum from 11th October, 1982. Interest for the period 11th October to 23rd November, 1982 (inclusive) will be paid on 24th November, 1982 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 24th May and 24th November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 8.25 per cent Loan, 2005 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 11th October, 2005.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 11th October, 2005.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 8.25 per cent per annum from 11th October, 1982. Interest will be paid half-yearly on the 11th April and 11th October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

6. 9.00 per cent Loan, 2013 (Third Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 24th May, 2013.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 24th May, 2013.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 9.00 per cent per annum from 11th October, 1982. Interest for the period from 11th October, 1982 to 23rd November, 1982 (inclusive) will be paid on 24th November, 1982 and thereafter the interest will be paid half-yearly on the 24th May and 24th November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

7. Applications will be received at—

(a) Offices of Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna.

(b) Branches of State Bank of India at all places in India except at (a) above.

8. Place of Payment of Interest.—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna and at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim.

9. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

An individual resident in India whose total income does not exceed the exemption limit can obtain, on furnishing a declaration to the prescribed form in duplicate to the person responsible for paying the interest, the amount of interest without deduction of tax.

10. Interest on the loans now issued together with interest on other previous Government Securities and Income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 6,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

11. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government Securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth-tax Act will also be exempt from the Wealth-tax upto Rs. 1,65,000.

12. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock Certificates; or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

13. Applications for the Loans.—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of Reserve Bank of India or State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned.

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100.00 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the concerned offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,
A. C. TIWARI, Jt. Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We* herewith
[Full Name(s) in Block Letters]

*Cash
tender Rs. (Rs.) and
Cheque for
request that securities of 6.75 per cent Loan, 1989*/7.25 per cent Loan, 1992 (Third Issue)* /8.25 per cent Loan, 2005*/9.00
per cent Loan, 2013 (Third Issue)* of the nominal value of Rs. may be issued to
me/us* in the form of *Promissory Note(s) in the denomination(s)

Stock Certificate

stated below :—

..... Promissory Note(s) + of Rs. each.
..... Promissory Note(s) + of Rs. each.
..... Promissory Note(s) + of Rs. each.
..... Promissory Note(s) + of Rs. each.

2. I/We* desire that interest be paid at

N.B.—The applicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Receiving Office.		Initials	Date	Signature(s)
Application No.				Signature(s)
N.B. Stamp				Name(s) in full (Block Letters)
Cash Received on				Address
Cheque realised on				
Credited to Special Current Account on				
Examined				
Cash Applications Register posted				
Brokearge Register Posted				
Indent No.				
Scrip No.				
Card No.				Dated the of October, 1982
Voucher passed on				

*Delete what is not required.

+ Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination(s) required.

Notes.—(1) Separate applications should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the New Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of the registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application :—

(i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing

authority under his office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations/By-laws of the company/body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person/s authorised to deal in Government Securities on behalf of the company/body together with his/their duly attested specimen signature(s).

(4) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for remittance of half-yearly interest to them.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]
No. 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 1982/ आश्विन 9, 1904
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1982/ASHVINA 9, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1982

संख्या एक. 8/8/81-एन.एस.—केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाह-
कार बोर्ड को 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए पुन-
गठित किया गया है इसके निम्नलिखित सदस्य हैं —

अध्यक्ष

श्री जनार्दन पञ्जारी,
उप-वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

सदस्य

- 1 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ।
- 2 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
गोहाटी, असम ।
- 3 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
बिहार, पटना ।

- 4 अध्यक्ष, दिल्ली अल्प बचत सलाहकार बोर्ड,
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
- 5 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
गोवा, पणजी ।
- 6 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
गुजरात, अहमदाबाद ।
- 7 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
हरियाणा, बण्डीगढ़ ।
- 8 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 9 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर ।
- 10 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
कर्नाटक, बंगलूर ।
- 11 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
केरल, त्रिवेन्द्रम ।
- 12 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
मध्य प्रदेश, भोपाल ।
- 13 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
महाराष्ट्र, बम्बई ।

14. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
मुम्बई, इम्फाल ।
15. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
मेघालय, शिलांग ।
16. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
नागालैण्ड, कोहिमा ।
17. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
उड़ीसा, भुवनेश्वर ।
18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
पाण्डिचेरी ।
19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
पंजाब, चण्डीगढ़ ।
20. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर ।
21. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
तमिलनाडु, मद्रास ।
22. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
त्रिपुरा, अगरतला ।
23. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
24. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।
25. वित्त मंत्री, सिविकम, गंगटोक ।
26. श्री मोहम्मद असरार अहमद, सदस्य लोक सभा ।
27. श्री ग्धीर कुमार गिरि, सदस्य लोक सभा ।
28. श्रीमती माधुरी सिंह, सदस्य लोक सभा ।
29. श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य लोक सभा ।
30. श्री यशवन्त राव मोहिते, सदस्य लोक सभा ।
31. श्री लासन सिंह, सदस्य राज्य सभा ।
32. श्री बिजेन्द्र पाल सिंह, सदस्य लोक सभा ।
33. श्री एन. एन. पांडे, सदस्य राज्य सभा ।

2. बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले कुछ सदस्यों के नाम
शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे ।

3. राष्ट्रीय बचत आयुक्त, बोर्ड के सचिव के रूप में
कार्य करेंगे ।

4. बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (1) राज्य सलाहकार बोर्डों के क्रियाकलापों का समन्वय
करना और मार्गदर्शन प्रदान करना ;
- (2) देश में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन का प्रसार करने के
आवश्यक उपायों और अन्य बचत योजनाओं की
लोकप्रिय बनाने के तरीकों के बारे में सरकार की
सहायता और सलाह देना ।
- (3) राष्ट्रीय बचत आन्दोलन से संबंधित विशिष्ट गंठना-
त्मक और प्रचार विषयक मामलों में सरकार की
सलाह देना ।

अभिलेख चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st October, 1982

No. F. 8/8/81-NS.—The National Savings Central Advisory Board has been reconstituted for the period upto 31st December, 1983 with the following members :

CHAIRMAN

Shri Janardhana Poojary,
Deputy Minister of Finance,
Government of India,
NEW DELHI.

MEMBERS

1. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Andhra Pradesh, Hyderabad
2. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Gauhati, Assam.
3. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Bihar, Patna.
4. Chairman, Delhi Small Savings Advisory Board,
Delhi Administration, Delhi.
5. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Goa, Panaji.
6. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Gujarat, Ahmedabad.
7. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Haryana, Chandigarh.
8. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Himachal Pradesh, Simla.
9. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Jammu & Kashmir, Srinagar.
10. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Karnataka, Bangalore.
11. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Kerala, Trivandrum.
12. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Madhya Pradesh, Bhopal.
13. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Maharashtra, Bombay.
14. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Manipur, Imphal.
15. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Meghalaya, Shillong.
16. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Nagaland, Kohima.
17. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Orissa, Bhubaneswar.
18. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Pondicherry.
19. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Punjab, Chandigarh.
20. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Rajasthan, Jaipur.
21. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Tamil Nadu, Madras.
22. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Tripura, Agartala.
23. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Uttar Pradesh, Lucknow.
24. Chairman, National Savings State Advisory Board,
West Bengal, Calcutta.

25. Finance Minister of Sikkim, Gangtok.
26. Shri Mohd. Asrar Ahmed—Member of Lok Sabha.
27. Shri Sudhir Kumar Giri—Member of Lok Sabha.
28. Shrimati Madhuri Singh—Member of Lok Sabha.
29. Shri Dharam Bir Singh—Member of Lok Sabha.
30. Shri Yashwant Rao Mohite—Member of Lok Sabha.
31. Shri Bijendra Pal Singh—Member of Lok Sabha.
32. Shri Lakhan Singh—Member of Rajya Sabha.
33. Shri N. N. Pandey—Member of Rajya Sabha.

2. The names of some other members to be appointed on the board will be notified shortly.

3. The National Savings Commissioner will function as Secretary of the Board.

4. The Board will continue to discharge the following functions :—

- (i) to coordinate and guide the activities of the State Advisory Boards.
- (ii) to assist and advise Government on measures necessary to spread the National Savings Movement in the country and on the ways and means of popularising the small savings schemes ; and
- (iii) to advise the Government on specific organisational and publicity matters relating to National Savings Movement.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 1982/आश्विन 9, 1904

No. 175]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1982/ASVINA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 1-पी०आर०-एन०पी०/82

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

फाइल संख्या 33/52/82-पी०आर०-एन०पी०/जे०एस० (बी) -- अख-
बारी कागज नियंत्रण अधिनियम 1962 के खण्ड 3 के उपखण्ड (5) के साथ
पठित आदेश और निर्वासन नीति के परिशिष्ट 9 के अनुच्छेद 6 की शर्तों
के अनुसार भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय लाइसेंसिंग
वर्क अधिनियम, 1982-आर्क, 1983 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति,
जैसे इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में है, एन० द्वारा अधिसूचित करना
है।

2. अध्यापित अखबारी कागज की सभी किस्मों की कीमत उपरोक्त
लाइसेंसिंग वर्क की प्रत्येक तिमाही के लिए भारत सरकार, सूचना और
प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग से निर्धारित होगी और भारत के राज्य
व्यापार निगम, नई दिल्ली के द्वारा उसकी घोषणा होगी।

जे०के० भट्टाचार्य, सयुक्त सचिव

अनुलग्नक

वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज की आबंटन नीति

1 प्रयोज्यता

इस नीति का सबंध अखबारी कागज के आबंटन में है जिस पर
अखबारी कागज नियंत्रण अधिनियम, 1962 लागू होता है।

2 परिभाषा

इस नीति में तथा संलग्न अनुदेशों में 'समाचारपत्र' का अर्थ होगा
दैनिक समाचारपत्र अथवा कोई भी अन्य आधिकारिक।

798 GI/82--1

(1)

3 पात्रता :

3.1 प्रत्येक समाचारपत्र, जो प्रकाशन की नियमितता का निर्धारित
प्रतिफल पूरी करना है, जैसा कि इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद-1
में उल्लिखित है, अखबारी कागज के आबंटन के लिए पात्र है।

3.2 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित के
लिए भी अखबारी कागज का आबंटन प्राधिकृत किया जा सकता है।

(1) समाचार पत्रों द्वारा टेम्प्लेट पर समाचार संश्लेषित
करना;

(2) समाचारपत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण;

(3) शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए न्यून मूल्य की पुस्तकों का मुद्रण;
और

(4) महाविद्यालय और विद्यालय की पत्रिकाओं का मुद्रण।

3.3 निर्धारित प्रकाशन की श्रेणियाँ अखबारी कागज के आबंटन
की पात्र नहीं होंगी:—

(1) यन्त्रों अथवा सेवाओं की धिक्की को मुख्यरूप से प्रोत्साहन
दने हेतु प्रकाशित अर्जन;

(2) जायजों/कर्मों/भौतिक संश्लेषों द्वारा विकसित गृह पत्र/
पत्रिकाएँ,

(3) कीमत सूचिका, सूचीपत्र तथा साप्ताहिक समाचार;

(4) रेसिंग गाइड;

(5) मैक्स मेगजिने।

4. हकदारी :

4.1 विद्यमान समाचारपत्रों जिन्होंने उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 में अन्तर्विष्ट शर्तें पूरी कर ली हैं, उनकी 1982-83 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी 1981-82 में अखबारी कागज अथवा सफेद प्रिंटिंग कागज अथवा दोनों की यथाथ खपत के आधार पर औसत प्रसार, पृष्ठों की औसत संख्या, प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र और प्रकाशन दिनों की संख्या इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2.7 और 2.8 के साथ पठित अनुच्छेद 2.1 में अन्तर्विष्ट किये गये अनुबंधों के अनुसार हिमाब में लेने हुए निर्धारित की जायेगी।

4.2 वर्ष 1982-83 की हकदारी निर्धारित करने के लिए नियत प्रोत्साहन के लिए योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये और 1981-82 के दौरान खपत किये गये अखबारी कागज को भी हिमाब में लिया जायेगा।

4.3 किसी समाचारपत्र के सभी संस्करण (अर्थात् जिसका, वही नाम हो, वही आवश्यकता हो, उसी भाषा में प्रकाशित किया गया हो और उसी स्वामी के स्वामित्व में हो) चाहे वे उसी स्थान से अथवा अलग-अलग स्थानों में प्रकाशित हुए हों, को एक समाचारपत्र माना जायेगा और उसकी हकदारी सभी संस्करणों के निष्पादन विवरण के आधार पर निकाली जायेगी।

4.4 नए समाचारपत्रों को प्रारम्भिक कोटे की अनुमति इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2.3 और 2.4 में अन्तर्विष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार दी जायेगी।

4.5 जिन समाचारपत्रों को 1980-81 में अथवा किसी पहले के वर्ष में अखबारी कागज का आबंटन किया गया था परन्तु जिसने 1981-82 में कोई भी अखबारी कागज प्राप्त नहीं किया, उनकी इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2.5 में अन्तर्विष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार अखबारी कागज का आबंटन किया जायेगा।

5. पुनरीक्षण :

5.1 जिन समाचारपत्रों ने वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी प्राप्त कर ली है, वह प्रसार में वृद्धि के आधार पर आबंटन के बढ़ने वाले पुनरीक्षण के लिए एक बार आवेदन कर सकते हैं।

5.2 ऐसे तथ्यों की दृष्टि से जैसे कि अखबारी कागज की मात्रा की संभावित उपलब्धता और बफर स्टॉक में पर्याप्त मात्रा बनाये रखने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों से आबंटन में पुनरीक्षण/परिचर्चा किया जा सकता है।

6. अंतिम तिथि

अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में देना चाहिए, और वह भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक विस्तरी को भेजना चाहिए, जिससे कि वह 30 नवम्बर, 1982 को अथवा इससे पहले उनके पास पहुँच जाए।

7. अनुदेश :

इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत अनुदेश इस नीति के परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिशिष्ट

अखबारी कागज आबंटन नीति 1982-83 की शर्तों के अनुसार अखबारी कागज के आबंटन के लिए अनुदेश

1. नियमितता :

1.1 समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आबंटन किया जा सकता है यदि उनकी प्रकाशन की निम्नलिखित नियमितता है :

- (1) 1981-82 में 50 प्रतिशत तथा
- (2) 1982-83 में दैनिकों के मामले में 90 प्रतिशत और आ-धिकां के मामले में 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत।

2. हकदारी :

2.1 किसी समाचारपत्र की 1982-83 में अखबारी कागज का मूल हकदारी उसके द्वारा, 1981-82 में अखबारी कागज या सफेद प्रिंटिंग कागज अथवा दोनों की खपत के आधार पर उसके औसत प्रसार, पृष्ठों की औसत संख्या, प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र तथा प्रकाशित दिनों की संख्या को हिमाब में लेने हुए निर्धारित की जायेगी। ऐसे मामले में जहाँ कि वर्ष 1981-82 के लिए फार्म एन०पी०-3 में निष्पादन विवरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन मामलों में 1981-82 के अन्तिम तीन मास के दौरान खपत की प्रायोजता 1-4-81 से 31-12-81 की अवधि के औसत के आधार पर निकाली जाएगी जैसे कि वर्ष 1981 के वार्षिक विवरण में प्रदर्शित किया गया।

2.2 नियत प्रोत्ति योजना के अन्तर्गत अखबारी कागज के उपयोग के संबंध में सूचना फार्म एन०पी० 2 का कागज 6 में प्रस्तुत करने का अधिकार।

2.3 नए समाचारपत्रों को प्रथम बार महीनों के लिए प्रारम्भिक कोटे की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक आवेदन द्वारा प्रसार संख्या के प्रोत्ति के अनुच्छेदों पर निर्धारित करेंगे, जो दैनिकों के मामले में प्रति घंटा आठ मास पृष्ठों (254 0 वर्ग सेंटीमी०) की अधिकतम 10,000 प्रतिवर्ष और अन्य के मामले में सोलह मास पृष्ठों के अधीन होगा।

2.4 नए समाचारपत्र जो प्रारम्भिक कोटा प्राप्त करने हैं वे तीन महीने के प्रकाशनों को एक पक्ष के अन्दर उनकी आबंटित अखबारी कागज के उचित प्रयोग का प्रमाण फार्म एन०पी०-3 में प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात् वर्ष 1982-83 के लिए हमकी हकदारी वार्षिक निष्पादन और शेष कोटा, यदि कोई हो, शेष वर्ष के लिए अखबारी कागज हेतु प्रकाशन द्वारा औपचारिक आवेदन पत्र की प्रस्तुति से प्रार्थना पर विमो-चिन के आधार पर प्रकाशन की शारीर में निर्धारित की जाएगी।

2.5 जिन समाचारपत्रों को 1980-81 में अथवा किसी पहले वर्ष में अखबारी कागज का आबंटन किया गया था परन्तु जिन्होंने 1981-82 में कोई भी अखबारी कागज प्राप्त नहीं किया, वे उनके आवेदन पत्र के प्राप्त होने के महीने से अखबारी कागज के हकदार होंगे। जिस वर्ष में उन्होंने अखबारी कागज प्राप्त नहीं किया था उन वर्षों के लिए उनकी हकदारी का हिमाब अनुमानित आबंटन के करके के बाव किया जाएगा।

2.6 समाचारपत्रों की हकदारी आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज के लिए भी 59 ग्राम पदार्थ जमा व घटा 5 प्रतिशत के आधार पर निकाली जाएगी।

2.7 समाचारपत्रों का प्रसार (क) विक्रय की गई प्रतियों की संख्या और (ख) मुक्त वितरित प्रतियों की संख्या, बिना किसी लौटाई गई अथवा अन्य कोई मुद्रित प्रतियाँ, जो न तो बिकी हों और न ही मुक्त वितरित की गई हों, को हिमाब में लेकर निर्धारित किया जायगा, बशर्ते कि संबंधित मुद्रण आवेदन की प्रतिशतता निम्न से अधिक न हो--

प्रसार	दैनिक/शुक्र और शनि साप्ताहिक	साप्ताहिक और पत्रिका	अन्य
5,000 तक	10%	15%	20%
5,000 और 10,000 के बीच	10%	10%	15%
10,000 से अधिक	5%	5%	10%

2.8 प्रेस पंजीयक, प्रत्येक मामले में मूल हकदारी निकालने और उसे पुनरीक्षण करने में जैसा वह उचित समझे सामान्य औसत खपत के आधार पर निम्नलिखित की उपाधा कर सकते हैं :-

1. विशेष परिस्थितियाँ जिसमें हड़ताल/मालाबन्दी या अन्य कारण शामिल हैं, से उत्पन्न प्रसार में असाधारण अन्धावधि गिरावट, और
2. प्रसार में असाधारण अन्धावधि वृद्धि, समाचारपत्रों की प्रतियागता में कार्य के बन्ध होने/हफ़ावट होने अथवा अन्य कोई असाधारण परिस्थितियाँ।

ऐसे समाचारपत्रों के मामले में जो असाधारण रूप से लंबी अवधि तक नहीं निकाले जा सकें, उनकी हफ़दारी सभी सगन नब्बों को हिमाक से लेने के बाद निकाली जा सकती है।

2.9 समाचारपत्रों को अतिरिक्त अखबारी कागज निम्न सीमाओं तक छीजन की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।

- | | |
|---|-----------|
| (1) सभी समाचार पत्रों के लिए | 5 प्रतिशत |
| (2) आबधिकों के मामले में जो बहुत रंग प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं | 7 प्रतिशत |

2.10 अगर किसी समाचार पत्र ने 1981-82 अथवा किसी गत वर्ष में उनको आवंटित अखबारी कागज का प्रयोग न किया हो तो अप्रयुक्त मात्रा को उसके वर्ष 1982-83 की हफ़दारी में समायोजित किया जाएगा।

3. आवेदन पत्र भेजने की प्रक्रिया :

3.1 प्रकाशक अथवा उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन पत्र फार्म एन० पी०-1 और एन० पी०-2 में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक, नई दिल्ली को भेजने चाहिए, ताकि वह उनके पास 30 नवम्बर, 1982 को या इससे पहले पहुँच जाएं।

3.2 समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के लिए आवेदनपत्र के साथ फार्म एन० पी०-3 में वर्ष 1981-82 के निष्पादन विवरण का प्रमाण-पत्र अथवा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19-डी के अन्तर्गत अपेक्षित 1981 के वार्षिक विवरण की एक प्रति दाखिल करनी अपेक्षित है। जिन समाचारपत्रों का औसत प्रसार 2000 प्रतिया प्रति पत्र, से अधिक है, उनका प्रमाण-पत्र अथवा वार्षिक विवरण जैसा भी मामला हो, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

3.3 नए प्रकाशनों द्वारा (उपरोक्त अनुच्छेद 2.3 के तहत) आर्थिक कौटा के लिए आवेदन-पत्र फार्म एन० पी०-1 में देने चाहिए और उनके साथ निम्नलिखित होने चाहिए—

- (1) फार्म एन० पी०-4 तथा
- (2) आवेदक द्वारा निष्पादन बांड और किसी अनुसूचित ग्रामीण या सहकारी बैंक द्वारा आवेदक की आरम्भिक हफ़दारी के अखबारी कागज के मूल्य के 20 प्रतिशत के लिए विधिवत् गारंटी हो। कागजाती प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति से भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की संतुष्टि हो जाने पर कि समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए यह अखबारी कागज उपयोग किया गया है तो यह बांड रद्द कर दिया जाएगा।

3.4 हफ़दारी के पुनरीक्षण के लिए लिए गए आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित कागजात होने चाहिए—

- (1) फार्म एन० पी०-3 से 1982-83 के लिए निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र (पूर्व मास के अन्त तक जिसमें कि आवेदन पत्र दिया गया है) ऐसे समाचारपत्रों के मामले में, जिनकी प्रसार संख्या 2000 प्रतिया प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक है, यह प्रमाण-पत्र सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तथा

- (2) जिन समाचारपत्रों की अखबारी कागज की हफ़दारी 30 0 मीट्रिक टन, अथवा इससे अधिक है, उनकी आवेदन पत्र के साथ आयकर रिटर्न की अधिप्रमाणित प्रति और वर्ष 1981-82 का तुल्य पत्र भेजना चाहिए।

3.5 जिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रसार संख्या, उनके द्वारा दावा की गई प्रसार संख्या की अपेक्षा कम है, वे उम्मुख पुनरीक्षण के लिए ग्राह्य नहीं होंगे।

3.6 हफ़दारी के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र भारत के समाचारपत्रों के कार्यालय में 15 जनवरी, 1983 को अथवा इससे पहले पहुँच जाने चाहिए।

4. आवंटन :

4.1 अखबारी कागज स्टैकर्स, रोटो, प्रावर और ग्लेज का आवंटन, अनुच्छेद 4.2 में उल्लेख के अतिरिक्त प्रायः रीलों में किया जाएगा।

4.2 शीट फेड मशीनों में मुद्रित समाचारपत्रों अपनी हफ़दारी केवल शीटों में प्राप्त करेंगे। अगर शीटों उपलब्ध नहीं हैं तो रीलों की शीटों में बदलने के लिए हफ़दारी से 5 प्रतिशत की बक़ीतरी की जाएगी बशर्ते यह प्रमाणित हो जाए कि प्रिंटिंग वास्तविक में शीटों में हुआ है।

4.3 नेपा मिल के अखबारी कागज में संबंध में प्रकाशनों को नेपा अखबारी कागज के लिए उनकी हफ़दारी की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाएगी।

4.4 दैनिक पत्रों के अलावा जिन आबधिकों का प्रकाशन तीन महीने के अधिक समय से नियमित रूप से हो रहा है, उनकी पूरी हफ़दारी या उसका एक हिस्सा ग्लेज या रोटो प्रावर अखबारी कागज में देने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह उपलब्ध हो।

4.5 300 मीट्रिक टन से न्यून हफ़दारी वाले समाचारपत्रों की स्वदेशी अथवा आयातित अखबारी कागज या तो भाग में अथवा पूर्ण में लेने का विकल्प होगा।

4.6 300 मीट्रिक टन/अथवा अधिक हफ़दारी वाले समाचारपत्रों की अखबारी कागज का आवंटन निम्न प्रकार होगा—

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) हफ़दारी का 20 प्रतिशत | नेपा अखबारी कागज |
| (2) हफ़दारी का 20 प्रतिशत | सैसूर पेपर मिल या/और एन० पी० सी० (केरल अखबारी कागज प्रोजेक्ट) से अखबारी कागज। |
| (3) हफ़दारी का 60 प्रतिशत | आयातित अखबारी कागज (इसका कम से कम 25 प्रतिशत राज्य व्यापार निगम के बफर स्टॉक से उठाया जाना चाहिए)। |

4.7 देशी और आयातित अखबारी कागज के अनुपात में समय-समय पर स्टॉक की उपलब्धि की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है।

4.8 अगर राज्य व्यापार निगम द्वारा लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर लखन नहीं किया जाता तो होई सी सेल्स के आधार पर बफर स्टॉक से अनुपातिक मात्रा में आवंटन करने का प्रयत्न किया जाएगा, जो बाद में फिर से पूरा किया जाएगा।

5. बितरण :

5.1 आयातित अखबारी कागज के बितरण का कार्य पूर्णतया, अखबारी कागज नियंत्रण अधिनियम 1962 की हिदायतों और उपबंधों के अनुपालन के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकृत राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा।

5 2 हाई सी सेल्स के आधार पर इलियरी विदेशा सप्ताह्यर द्वारा बुकिंग के लिए स्वीकार की गई न्यूनतम मात्रा अधीन होगी।

5 3 जिन समाचारपत्रों को हाई सी सेल्स के आधार पर आवंटन किया जाता है उनको राज्य लघु उद्योग विकास निगम अथवा जो ऐसे अन्य निगम जो राज्य में कार्यरत हैं अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों के द्वारा भी बिलीवरी लेने की अनुमति होगी।

5 4 ऐसे समाचारपत्र जो हाई सी सेल्स आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं करने के न्योक्ति उनकी अलग-अलग हकदारी बहुत कम होने के कारण इस व्यवस्था में नहीं आ सकती। वे समाचारपत्र दूसरे छोटे समाचारपत्रों के साथ अपनी हकदारी मिला सकते हैं और अखबारी कागज हाई सी सेल्स से या राज्य लघु उद्योग विकास निगम या कोई ऐसा अन्य निगम, जो राज्य में कार्यरत है, के द्वारा अथवा उनके लिए कार्य कर रहे प्राधिकृत एजेंटों के द्वारा ले सकते हैं।

5 5 स्वदेशी अखबारी कागज की हकदारी के लिए संबंधित मिलों की प्राधिकरण सीधे भारत के समाचारपत्रों पजीयक द्वारा जारी होंगे।

5 6 समाचारपत्रों को हाई सी सेल्स अथवा यकर स्टाक अथवा दर्जा सीतो से अपना आवंटन निम्नलिखित अवधि के भीतर उठाना चाहिए: --

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. 50 टन से कम हकदारी वाले | 6 महीने |
| 2. अन्य | 2 महीने |

अगर कोई समाचारपत्र ऐसा करने में असफल होता है तो वह अपने अखबारी कागज के आवंटन से बचित हाने का उत्तरदायी होगा।

6 एक सप्ताह्यरपत्र को आवश्यक अखबारी कागज का दूसरे समाचारपत्र के लिए उपयोग

एक समाचारपत्र दूसरे समाचारपत्र अथवा समाचारपत्रों को आवंटित अखबारी कागज का उपयोग नहीं करेगा यद्यपि संबंधित प्रमाणन का बड़ा

स्वामित्व हो अथवा हाई सी सेल्स के आधार पर आयातित अखबारी कागज प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उनको हकदारी मिला देने की अनुमति दी गई हो।

7 अवकाश

7 1 इन अनुदनों में किसी बात के होते हुए भी भारत के समाचारपत्रों के पजीयक उचित और विधिमार्ग कारणों से किसी भी आवश्यकता का पूरा कर सकते हैं या इन अनुदनों में कोई भी ग्राह्यता दे सकते हैं।

8 विविध

8 1 अखबारी कागज के जिन डीलर अथवा एजेंट ने अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 का अनुपालन नहीं किया है उसको आयातित कागज हाई सी सेल्स अथवा यकर स्टाक से लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8 2 स्वदेशी अखबारी कागज विनिर्माण करने वाली मिलों का भारत के समाचारपत्रों के पजीयक को आवधिक रूप से ऐसी सूचना जैसे कि अपेक्षित है, प्रस्तुत करनी होगी जो अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के अनुरूप अधीन है।

8 3 जिन समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन किया गया हो उसको फार्म एन० पी०-3 में वर्ष 1982-83 के लिए निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र विधिवत् सटीक लेखाशाल से प्रमाणित करवा कर यदि प्रसार सख्या 2000 प्रतिशत प्रति प्रकाशन दिवस में अधिक हों तो 30 जून, 1983 तक प्रेम पजीयक को प्रस्तुत करना चाहिए।

8 4 जो समाचारपत्र निरन्तरित हो जाता है अथवा जिसका प्रकाशन बंद हो जाता है उसे प्रकाशन के निरन्तरित/बन्द होने के एक महीने के भीतर फार्म एन० पी० 3 में निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र भारत के समाचारपत्रों के पजीयक को प्रस्तुत करना होगा। भारत के समाचारपत्रों के पजीयक के निदेशनों के अनुसार उसे उपयोग ही किया गया अखबारी कागज भी अभ्यर्पण करना होगा।

8 5 फार्म एन० पी०-1, एन० पी०-2, एन० पी०-3 और एन० पी०-4 के समूह सलग हैं।

फार्म-आई

फार्म-एन० पी० 1

अखबारी कागज के आवंटन के लिए समाचारपत्रों/नियन्त्रकालिक पत्रों के आवेदन पत्र का फार्म।

भाग-1

- 1 आवेदक का नाम
- 2 समाचारपत्र/नियन्त्रकालिक पत्र का नाम
- 3 शीत का पूरा पता
- 4 (क) बिनाक जब से समाचारपत्र/नियन्त्रकालिक पत्र नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है
- (ख) भारत के समाचारपत्रों के पजीयक द्वारा दी गई प्रमाणन सख्या
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ नदीनतम घोषणा दाखिल किए जाने की तारीख
- 5 प्रतिष्ठान का प्रकार अर्थात् सार्वजनिक/निर्जी स्वामित्व आदि तथा निदेशकों/मार्गदर्शकों आदि के नाम
- 6 1? महीने के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य
- 7 (क) अभ्यर्पण विवरण अपेक्षित
- (ख) प्राधिकृत एजेंट का नाम

8. समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का नाम तथा अन्य विवरण जो आवेदक के स्वामित्व में हैं।

समाचार पत्र का नाम	भाषा तथा नियतकालिकता	प्रकाशन का स्थान	क्या सरकार द्वारा अखबारी कागज मिलता है।
1	2	3	4

9. समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशन दिवस के प्रसार आदि का विवरण

- (क) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि
(ख) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत संख्या
(ग) औसत पृष्ठ संख्या
(घ) समाचारपत्रों/नियत कालिक पत्रों के एक पृष्ठ का औसत क्षेत्र (वर्ग से० मी० में)
(ङ) प्रकाशन दिवसों की संख्या

10. अखबारी कागज का विवरण (रजिस्ट्र/अनरजिस्ट्र/लेप) की आवश्यकता वाले अलग-अलग उन्नयन कीजिए)

प्र. संख्या	मासों मासिक टनों में	औसत	मूल्य (सी० आई० एफ० रूपों में)
1	2	3	4

वर्ष 1981-82 की अवधि में की गई छपन।

वर्ष 1982-83 के लिए आवश्यकता

11. पिछला साहसिमिग वर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पत्रिका के कार्यालय से अखबारी कागज लिया गया था।
12. (क) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटर/प्लेटबेड/लैटर प्रेस)।
(ख) अभिलेख रीलो/पीटी का आकार

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषित करना चाहते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। मैं/हम यह भी घोषित करना चाहते हैं कि मैं/हम जो भी आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर स्वीकृत होगा यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए विवरण गलत या असत्य हैं तो वह किसी अन्य जुमाने के अलावा जो सरकार लगा सकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की जा सकती है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रद्द करने योग्य है।
2. मैं/हम यह भी घोषित करना चाहते हैं कि अगर अखबारी कागज का आवंटन किया जाता है तो वह केवल हमारे ऊपर दिए गए पत्र के प्रेम/अहसास/संस्थापन में प्रयुक्त होगा।
3. मैं/हम भी अच्छी तरह समझते हैं/समझते हैं कि सारणीबद्ध की गई मद (बो) का आवंटन सारणीबद्ध ऐजेंसी के जरिए आयात व्यापार नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिस शर्तों पर साल की निर्यात उद्योग के लिए दो शर्तों हैं ऐसी वस्तुओं के किसी उपयोग करने के उल्लंघन पर आयात तथा निर्यात (केन्द्रीय) अधिनियम 1947, व्यावसायिक तथा उनके अर्थात् निर्यात आदेश की व्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट होगा।
4. मैं/हमने आयात नीति/आयात निर्यात प्रक्रिया की 1981-82 की हफ्ता पुस्तिका के प्रायोगिक उदाहरणों को नोट कर लिया है।

हस्ताक्षर- -----

नाम स्पष्ट अक्षरों में- -----

पद का नाम- -----

निवास स्थान का पता- -----

दिनांक- -----

फॉर्म एन०पी० 2

सभी श्रावकों द्वारा दिये जाने वाले विवरण

1. पत्र का नाम
2. भाषा/भाषाधिकता
3. प्रकाशन का स्थान
4. प्रखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 (प्रखबारी कागज नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1962 द्वारा यथा संशोधित के खण्ड 5क के अनुसार किम तारीख से गत पत्र की लगातार प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं।
5. वर्ष 1981-82 के दौरान प्रति मास की प्रति प्रकाशन दिवस की प्रकाशन श्रौत पृष्ठों की संख्या (मीलमें) (इन फॉर्म के अन्त में सलग्न अनुदेशों के अनुसार निकाली जा सकती है)

अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81	अगस्त 81
सितम्बर 81	अक्टूबर 81	नवम्बर 81		
दिसम्बर 81	जनवरी 82	फरवरी 82	मार्च 82	

6. नियत सवर्धन की योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रखबारी कागज की खपत और वर्ष 1981-82 के दौरान खपत

ग्लेज्ड अतग्लेज्ड कुल
(आ०.....)
प्रकाशक के हस्ताक्षर
दिनांक

नोट:—कालम 5 में दिये जाने वाले श्रावकों के लिए पत्र के कुल पृष्ठों की संख्या से गुण करके संबंधित प्रकाशन दिवस की प्रकाशित कुल पृष्ठों की सूचना प्राप्त की जा सकती है। मास में सभी प्रकाशित दिवसों के कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिये। इस कुल संख्या को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग करके मासिक श्रौत संख्या प्राप्त की जा सकती है।

फॉर्म एन०पी० 3

1-4-81 से 31-3-82 तक की अवधि के लिए प्रसार आदि संबंधी निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र का फॉर्म

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम 3 भाषा
2. प्रकाशन का स्थान 4 भाषाधिकता (पीरियाडिसी)

प्रतिमास श्रौत

मास के दौरान

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	वर्ष का
81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	श्रौत

(क) प्रतिमास वास्तविक प्रकाशन दिवसों की संख्या

(ख) प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित प्रतियों की श्रौत संख्या

(ग) प्रति प्रकाशन दिवस बेची गई प्रतियों की श्रौत संख्या

(घ) प्रति प्रकाशन दिवस मुद्रित वितरित (मासार्थ, बाउचर, विनिमय बोनस नमूना एवं कार्यालय प्रतियों सहित) प्रतियों की श्रौत संख्या

(ङ) अतबिकी, वापिस की गई और अन्य मुद्रित प्रतियों की संख्या, जो (ख) और (ग) में शामिल नहीं की गई

(च) समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का श्रौत प्राकार (बर्ग से०पी०से)

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	वर्ष का औसत
81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	81

(छ) प्रकाशन दिवस के प्रति अंक के पृष्ठों की औसत संख्या

(ज) प्रति प्रकाशन दिवस की प्रकाशित पृष्ठों की औसत संख्या। वर्ष के दौरान प्रकाशनी कागज की कुल खपत (टन में) वर्ष 1981-82 के दौरान सफेद प्रिंटिंग कागज की खपत (टन में)

प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक

समदी लेखापाल का प्रमाण पत्र

मैंने/हमने वर्ष 1981-82 के दौरान प्रकाशित सर्वश्री (पत्र का नाम, भाषा और आवधिकता) के हिमाज की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है। मेरे/हमारे विचार से वर्ष 1981-82 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं लेखा किताबों के अनुसार प्रदत्त विवरण में प्रसार संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण करता है।

तारीख

समदी लेखापाल की मुहुर

हस्ताक्षर

1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

2. पंजीकरण संख्या

3. पता

नोट :— 1 यदि वर्ष के औसत प्रसार संख्या 2,000 प्रतिवर्ष प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हो तो प्रमाणपत्र समदी लेखापाल के पत्र शीर्ष पर टाईप होना चाहिए और उम्मीद समदी लेखापाल द्वारा ही सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2. सभी औसत मास के अनुसार तत्संबंधी मास के दौरान निष्पादन के तथ्यों के आधार पर ही दिये जाने हैं।

3 (छ) में दिये जाने वाले आंकड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जोड़ को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग करके प्राप्त किये जा सकते हैं, जबकि (ज) में दिये जाने वाले आंकड़ों का हिमाज इस प्रकार होगा : एक अंक के पृष्ठों की संख्या को उस अंक के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से गुणा करने से तत्संबंधी प्रकाशन दिवस की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल जायेगी। महीने में सभी प्रकाशन दिवसों की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिए। मासिक औसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग किया जाना चाहिए।

फॉर्म एन०पी०-4

नए दैनिक/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दिए जाने वाला विवरण

1. समाचारपत्र/पत्रिका का नाम

(क) नाम

(ख) भाषा

(ग) आवधिकता

2. अंतिम घोषणा देने की तारीख

3. प्रकाशन आरम्भ करने की प्रस्तावित तारीख

4. मुद्रण हेतु प्रतियों की औसत प्रस्तावित संख्या

(क) बिक्री हेतु प्रतियों की संख्या

(ख) मुफ्त विवरण हेतु प्रतियों की संख्या

5 प्रकाशन का स्थान और मुद्रणालय का स्थान

(क) मुद्रणालय के मासिक वा विवरण

नाम

पता

(ख) छापी की क्षमता

छपाई/मुद्राक्षर-विन्यास यंत्र (कम्पोजिंग मशीन) का मॉडल, मासिक प्रति घंटा की गति और मशीन की वर्तमान आयु लिखें।

(अर्थात् मशीन कब की बनी हुई है)

6 क्या अनुसूचित बैंक के तमूने के फार्म में बैंक की प्रतिभूति (गारंटी) दी गई है।

7. यदि हाँ, तो बैंक का नाम और प्रत्याभूति (गारंटी) की रकम लिखें।

8 क्या अखबारी कागज अधिकता (एजेंट) द्वारा उठाया जायगा।

9 यदि हाँ तो एजेंट का नाम लिखें

10. अखबारी कागज को उठाने की शर्त किन्तो में है या थोक में, बफर स्टॉक/हाई सी सेल्स में

11. सम्पादक का नाम

घोषणा

मैं/हम यहाँ इस बात की घोषणा करता/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम माफ अक्षरों में

पद

निवास स्थान का पता

बैंक गारंटी के लिए फार्म

सेवा में,

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

पश्चिम ब्लॉक-8

रामकृष्ण पुरम,

नई दिल्ली-110066

प्रिय महोदय,

जबकि संबंधी

(हमके बाद "अलाटी" कहा जायेगा) ने समाचारपत्र के प्रकाशनार्थ अखबारी कागज की निम्नलिखित मात्रा के आयात के लिए आपसे निवेदन किया है।

नाम

भाषा

आवधिकता

प्रकाशन का स्थान

लगभग मात्रा

लगभग सी आई एफ मूल्य रुपये

और जब कि प्रस्तावित प्रकाशन के लिए अग्रिम आर्बिटन की शर्त के अनुसार, आवेदन की गई अखबारी कागज की मात्रा के लगभग मूल्य का 20 प्रतिशत के लिए अलाटी को बैंक गारंटी देना अपेक्षित है।

अब उपरोक्त शर्तों के विचारार्थ से और अलाटी के निवेदन पर, हम बैंक का नाम और पता एतद्द्वारा शर्त के रूप में अटल गारंटी देते हैं और यह कि बिक्रय कीमत की अदायगी न करने के मामले में और/अथवा आपके द्वारा निर्धारित/निर्धारित होने वाली सभी अथवा किसी भी शर्त के पालन करने में अलाटी की ओर से अन्य कोई चूक/असफलता का भार अपने ऊपर लेने है और हम आपकी प्रथम मांग पर रुपये तक कोई भी राशि बिना विलम्ब अथवा अलाटी को बिना किसी हवाले के देंगे।

आपका यह निर्णय कि अलाटी की ओर से चूक/असफलता हुई है, अन्तिम निर्णायक और इस पर बाध्य होगा।

यह गारंटी अलाटी को आपके द्वारा बताई गई किसी प्रकार के बचाव अथवा अनुग्रह और/अथवा आप द्वारा निर्धारित शर्तों से किसी परिचयन द्वारा और/अथवा उसी के गठन में और/अथवा अलाटी द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

यह गारंटी जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमानी और उसकी समाप्ति की तारीख के छ महीने भीतर उसके अनन्त रकम की मांग भेजनी चाहिए।

दिनांक

भवदीय,

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

PUBLIC NOTICE No. 1-PR-NP/82

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September 30, 1982

File No. 33(25)/82-PR-NP, JS(B).—In terms of para 6 of Appendix 9 to the Import and Export Policy for April 1982—March 1983, read with sub clause (5) of Clause 3 of the Newsprint Control Order, 1962, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby notify the Newsprint Allocation Policy for the licensing year April 1982—March 1983 as in the Annexure to this Public Notice.

2. The price of imported newsprint in all varieties will be fixed separately by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting for each quarter of the above licensing year and the same will be announced through the State Trading Corporation of India, New Delhi.

J. K. BHATTACHARYA, Joint. Secy.

ANNEXURE

NEWSPRINT ALLOCATION POLICY, 1982-83

1. Applicability :

This Policy relates to allocation of newsprint to which the Newsprint Control Order, 1962 applies.

2. Definition :

In this Policy and in the appended instructions, a "newspaper" shall mean a daily newspaper or any other periodical.

3. Eligibility :

3.1 Every newspaper which fulfilled the prescribed percentage of regularity of publication, as mentioned in para 1 of the Appendix to this Policy, is eligible for allocation of newsprint.

3.2 Allocation of newsprint may also be authorised by RNI for the following :—

- (i) Transmission of news over teleprinters by news agencies;
- (ii) Trial printing by newspaper ;
- (iii) Printing of low price books for promotion of education; and
- (iv) Printing of college and school magazines.

3.3. The following categories of publications will not be eligible for allocation of newsprint :—

- (i) Journals published primarily to promote sale of goods or services;
- (ii) House journals/magazines brought out by undertakings/firms/industrial concerns;
- (iii) Price lists; catalogues and lottery news;
- (iv) Racing guides; and
- (v) Sex Magazines.

4. Entitlement :

4.1 The basic entitlement of newsprint for 1982-83 of the existing newspapers which have fulfilled the stipulations as contained in para 2.1 above, will be determined on the basis of actual consumption of newsprint or white printing paper or both in 1981-82 taking into account the average circulation, the average number of pages, the average page area published and the number of publishing days, as per instructions contained in para 2.1 read with paras 2.7 and 2.8 of the Appendix to this Policy.

4.2 Newsprint obtained under the scheme for export promotion and consumed during 1981-82 will also be taken into account in determining entitlement of 1982-83.

4.3 All the editions of a newspaper (i.e. bearing the same title, having the same periodicity, published in the same language and owned by the same owner), whether published from the same place or from different places would be treated as one newspaper and its entitlement will be calculated on the basis of the performance particulars in respect of all the editions.

4.4 New newspapers will be allowed an initial quota as per provisions contained in paras 2.3 and 2.4 of the Appendix to this Policy.

4.5 Newspapers which were allocated newsprint in 1980-81 or in any earlier year, but which did not obtain any newsprint in 1981-82, will be allotted newsprint as per provisions contained in para 2.5 of the Appendix to this Policy.

5. Revision

5.1 Newspapers which have secured the basic entitlement of newsprint for 1982-83, can apply once for upward revision of the allocation on the basis of increase in circulation.

5.2 The allotment from different sources may be revised/ varied in the light of such factors as quantities of newsprint likely to be available and the need to maintain adequate buffer stocks.

LAST DATE

6. Applications for allocation of newsprint should be made in the prescribed form and addressed to the Registrar of Newspapers for India West Block No. 8, Wing No. 2, R.K. Puram, New Delhi, so as to reach him on or before 30th November, 1982.

7. Instructions :

Detailed instructions for implementing this Policy are given in the Appendix to this Policy.

APPENDIX

INSTRUCTIONS FOR THE ALLOCATION OF NEWS-PRINT IN TERMS OF THE NEWSPRINT ALLOCATION POLICY, 1982-83

1. Regularity :

1.1 Newspapers can be allocated newsprint only if they have a regularity of publication of—

- (i) 50 per cent in 1981-82; and
- (ii) 90 per cent in the case of dailies and 66.2/3 per cent in the case of periodicals in 1982-83.

2. Entitlement :

2.1 The basic entitlement of newsprint of a newspaper in 1982-83 will be determined on the basis of the consumption of newsprint or white printing paper or both in 1981-82, taking into account its average circulation, average number of pages, the average page area published and the number of publishing days. In a case where Performance Particulars Certificate for 1981-82 in Form NP-3 has not been submitted; the projection of consumption during the last three months of 1981-82 will be made on the basis of the averages for the period from 1-4-1981 to 31-12-1981 as reflected in the Annual Statement for 1981.

2.2 Information regarding utilisation of newsprint under Export Promotion Scheme should be furnished in column 6 of Form NP-2.

2.3 New newspapers will be allowed an initial quota for the first four months, as determined by the RNI, upon his satisfaction of the projection of circulation by the applicant, subject to a maximum of 10,000 copies per issue of eight standard pages (2540 sq.cms.) in the case of dailies and of sixteen standard pages in the case of other periodicals.

2.4 A new newspaper which receives an initial quota should produce within a fortnight of three months of publication, evidence of proper utilisation of the newsprint allocated to it, in Form NP-3. Thereafter, its entitlement for the year 1982-83 from the date of publication will be determined on the basis of actual performance and the balance quota, if any, released on request on submission of a formal application from the publication for newsprint for the rest of the year.

2.5 Newspapers which were allocated newsprint in 1980-81 or any earlier year but which did not obtain any newsprint in 1981-82 will be entitled to newsprint from the month of receipt of their application. Their entitlement will be calculated after making national allocation for the years in which newsprint had not been obtained by them.

2.6 The entitlement of newspapers for imported newsprint as also indigenous newsprint will be worked out on the basis of 50 gsm plus or minus 5 percent.

2.7 The circulation of newspapers will be determined taking into account (a) the number of copies sold and (b) the number of copies distributed free, returned unsold or printed but neither sold nor distributed free, provided these do not exceed the following percentage of the respective print order.

Circulation	Dailies/ tri & bi-weeklies	Weeklies & fort- nightlies	Others
Up to 5,000	10%	10%	20%
Between 5000 & 10,000	10%	10%	15%
Above 10,000	5%	5%	10%

2.8 In working out the basis entitlement and in revising it, RNI may, as considered appropriate by him in each case and relying on the normal average consumption, ignore :

(i) abnormal short-term fall in circulation arising from special circumstances, including, strikes/lockouts or other reasons; and

(ii) abnormal short-term increase in circulation attendant upon closure/disruption of work in compelling news papers or any other extraordinary circumstances

In the case of newspapers which could not come out for an abnormally long period, the entitlement may be worked out after taking into account all relevant factors.

2.9 Extra newsprint upto the limits indicated below will be allowed to newspapers as wastage compensation.

(i) for all newspapers	5%
(ii) In case of periodicals using multi coloured printing	7%

2.10. If any newspaper had not utilised any quantity allotted in 1981-82 or in any previous year, the unutilised quantity will be adjusted against its entitlement for 1982-83.

3. Procedure for submission of applications :

3.1 Application for allocation of newsprint should be made by the publisher or a person duly authorised by him in this behalf in Forms NP-1 and NP-2 and should be addressed to the Registrar of Newspapers for India, New Delhi, so as to reach him on or before 30th November, 1982.

3.2 Applications for newsprint by newspapers should be accompanied by a Performance Particulars Certificate for 1981-82 in Form NP-3 or a copy of the annual statement for 1981 required to be filed under Section 19 D of the PRB Act, 1967. In the case of newspapers whose average circulation exceeds 2,000 copies per issue, their certificates or the annual statements, as the case may be, should be certified by a Chartered Accountant.

3.3 Applications for initial quota by new publications (vide para 2.3 above) should be made in Form NP-1 and should be accompanied by—

(i) Form NP-4; and

(ii) a bond executed by the applicant and duly guaranteed by any scheduled, rural or cooperative bank for 20 per cent of the value of the newsprint to which the applicant is entitled initially. This bond will be cancelled on the production of documentary evidence to the satisfaction of the RNI to show that the newsprint had been utilised for the publication of the newspaper.

3.4 Applications for revision of entitlement should be accompanied by the following documents;

(i) Performance Particulars Certificate for 1982-83 (up to the end of the month preceding the month in which the application is made) in form NP-3. In case of publications with a circulation of more than 2,000 copies per publishing day, this must be certified by a Chartered Accountant; and

(ii) an authenticated copy of the income tax return and the balance-sheet for the year 1981-82 in cases where the entitlement of newsprint is 300 tonnes or more.

3.5 No newspapers whose circulation has been assessed by RNI to be lower than that claimed by it will be eligible for upward revision.

3.6 Application for revision of entitlement should reach RNI on or before 15th January 1983.

4. Allocation :

4.1 Allotment of newsprint—standard, rotogravure and glazed, will generally be made in reels, except as indicated in para 4.2

4.2 Newspapers printed on sheet-fed machines will receive their entitlement only in sheets. In case sheets are not available, the entitlement will be raised by 5 per cent for conversion of reels into sheets on giving proof that printing is actually carried out only in sheets.

4.3 In respect of newsprint from the Nepa Mills, publications will be allowed 15% more than their entitlement for Nepa newsprint.

4.4 Periodicals, other than dailies, which have been in regular publication for more than three months, may be allowed to obtain their full entitlement or a portion of it in glazed or rotogravure newsprint, subject to availability.

4.5 Newspapers with an entitlement of less than 300 tonnes will have the option to obtain indigenous or imported newsprint either in part or in full.

4.6 The allocation of newsprint for those entitled to 300 tonnes or more will be as follows :—

(i) 20% of the entitlement	—Nepa Newsprint.
(ii) 20% of the entitlement	—Newsprint from Mysore Paper Mills or/and H.P.C. (Kerala Newsprint Project).
(iii) 60% of the entitlement	—Imported newsprint (At least 25% of this should be lifted from the STC's buffer stock).

4.7 The proportion of indigenous and imported newsprint may be varied in the light of availability of stocks from time to time.

4.8 If shipment is not effected within 120 days of receipt of Letters of Credit by STC, efforts will be made to allot proportionate tonnage from the buffer stock on high sea sales basis which will be later replenished.

5. Distribution :

5.1 The work relating to distribution of imported newsprint will be handled entirely by the STC as authorised by the RNI in accordance with these instructions and in compliance with the provisions of the Newsprint Control Order, 1962.

5.2 Delivery of high sea sales basis will be subject to the minimum quantity accepted for booking by the foreign supplier.

5.3 Newspapers which are given allotment on high sea sales basis, will be allowed to take delivery also through the State Small Industries Development Corporation or other such Corporations functioning in the State or through their authorised agents.

5.4 Newspapers which do not fulfil the condition of high sea sales allocations because of their individual entitlement being too small to be covered by that arrangement, can club their entitlement with those of other newspapers and get newsprint on high sea sales basis through either the State Small Industries Development Corporation or any other such Corporation functioning in the State or through their authorised agents.

5.5 Authorisations for entitlement of indigenous newsprint will be issued by the RNI direct to the Mills concerned.

5.6 Newspapers should lift their allotment from high sea sales or buffer stock or from indigenous sources within the periods specified below :—

- | | |
|---|-----------|
| (i) with entitlement of less than 50 tonnes | —6 months |
| (ii) Others | —2 months |

If a newspaper fails to do so, it is liable to lose further allotment of newsprint.

6. Use of newsprint allocated to one newspaper for another newspaper :

One newspaper shall not make use of the newsprint allotted to another newspaper or newspapers, even though the publications concerned have the same ownership or have been allowed to club their entitlement for the purpose of obtaining imported newsprint on high sea sale basis.

7. Exception:

Notwithstanding anything contained in these instructions, the RNI may waive any of the requirements or relax any of these instructions for good and valid reasons.

8. Miscellaneous :

8.1 No newsprint dealer or agent, who has not complied with the provisions of the Newsprint Control Order, 1962, will be allowed to obtain imported newsprint either on high sea sale or from the buffer stock.

8.2 The Mills producing indigenous newsprint shall furnish to the RNI such information as is required by him periodically under the Newsprint Control Order, 1962.

8.3 A newspaper which is allotted newsprint should submit to the RNI a Performance Particulars Certificate for 1982-83 in form NP-3 not later than 30th June, 1983, duly certified by a Chartered Accountant, if the circulation is over 2,000 copies per publishing day.

8.4 A newspaper which suspends or ceases publication shall submit to the RNI a Performance Particulars Certificate in Form NP-3 within a month of the suspension/cessation of publication. It shall also surrender the newsprint not utilised by it as per directions of the RNI.

8.5 Specimen of Forms NP-1, NP-2, NP-3, and NP-4 are attached.

FORM NP-1

FORM—I

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT FOR NEWSPAPERS/PERIODICALS

PART—I

1. Name of the Applicant.
2. Name of the Newspaper/Periodicals.
3. Full Postal Address.
4. (a) Date from which newspaper/Periodical is regularly Published.
- (b) Registration Number as given by Registrar of Newspaper for India.
- (c) Date of filing the latest declaration with District Magistrate.
5. Nature of Concern i.e. Public/Private/Proprietorship etc. and names of Directors/Partners etc.
6. Quantity/Value of newsprint required for 12 months.
7. (a) Phased delivery requirement.
- (b) Name of the agent authorised.

8. Name and other Particulars of Newspapers/Periodicals owned by the applicant.

Title of the Paper	Language & Periodicity	Place of Publication	Whether getting newsprint through Government
1	2	3	4

9. Particulars of circulation etc. per publishing day for the new newspapers/Periodicals.

- (a) Date of the proposed Publication.
- (b) Average No. of copies proposed to be printed.
- (c) Average No. of Pages.
- (d) Average area of one page of newspapers/Periodicals (in Sq. cms.)
- (e) No. of publishing days.

10. Particulars of newsprint (Specify Glazed/Unglazed/Nopa separately).

Item No.	Qty. in mts.	Source	Value (CIF) in Rs.
----------	--------------	--------	--------------------

Consumed during 1981-82 Required for the year 1982-83.

11. Last Licensing year in which newsprint was taken from the OFFICE OF RNI.

12. (a) Type of Machine (i.e. Rotary/Flatbed/Letter Press)

(b) Size of reels/sheets required.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition of any other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

2. I/We declare that the newsprint, if allotted will be used in our press/premises/establishments at the above mentioned address.

3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the Import Trade Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to use of any misuse of such goods will attract the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and orders issued there under.

4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy/Hand Books of Import Export Procedures, 1981-82.

Signature _____

Name in Block letters _____

Designation _____

Residential Address _____

PART—II
INCOME-TAX DECLARATION

- (a) In case of persons not having taxable income
I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.
- (b) Income of persons having taxable income
I/We hereby solemnly declare that.
1. I/We have furnished to the Income-Tax Department the return(s) of income due from me/us till date.
 2. I/We have paid all taxes including advance tax due from/me/us under the Income-Tax Act other than the tax demand which has been stayed by the Competent Authority.
 3. I/We have not been penalised */convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.
I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applied in the case of Companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are Partners or members respectively.

OR

The above declaration is applicable in case of persons having substantial interest** in the applicant Company or members of the applicant association or Partner of the applicant firm.

Place _____

Date _____

Signature _____

Address _____

Permanent A/C No. _____

Designation of the ITO with whom assessed

Assessable _____

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income Tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note for the purpose of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income Tax Act, 1961.

FORM NP—2
STATEMENT TO BE GIVEN BY ALL APPLICANTS

1. Name of the newspaper

2. Language/Periodicity

3. Place of publication

4. Date from which the number of copies of the previous issue are being continuously published as per requirement of clause 5A of the Newsprint Control Order, 1962 (as amended by the Newsprint Control (Amendment) Order, 1962)	April 81	May 81	June 81	July 81	Aug. 81
---	-------------	-----------	------------	------------	------------

5. Monthwise average number of pages printed per publishing day during 1981-82 (mileage) (to be worked out as per instructions given at the end of this form)	Sept. 81	Oct. 81	Nov. 81	Dec. 81
---	-------------	------------	------------	------------

Jan. 82	Feb. 82	March 82
------------	------------	-------------

6. Consumption of newsprint obtained under the scheme of export promotion and consumed during 1981-82	Glazed (-----gms)	Unglazed	Total
---	----------------------	----------	-------

Signature of the publisher
Date

Note: The figures to be given against Col-5 should be worked out by taking the total number of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue, which will give the information about the total number of pages printed on the relevant publishing day. The total no. of pages printed on all the publishing days in a month should be added. The monthly by average should be arrived at by dividing this total by the total of number of publishing days in that month.

FORM N.P.—13

**FORM OF PERFORMANCE PARTICULARS CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC. FOR THE PERIOD
FROM 1-4-81 to 31-3-82**

1. Name of the Newspaper/Periodical _____ 3. Language _____
2. Place of Publication _____ 4. Periodicity _____

A. OTHERWISE AVERAGES**DURING THE MONTH OF**

	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan	Feb.	March	Average for the year
(a) Actual no. of publishing days month-wise.	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	
(b) Average no. of copies printed per publishing day.													
(c) Average no. of copies sold per publishing day.													
(d) Average no. of copies distributed free per publishing day (including complementary voucher, exchange, bonus sample and office copies).													
(e) Average no. of unsold returns and other copies printed but not included in (c) & (d)													
(f) Average size of the newspaper/periodical (in sq. cm.)													
(g) Average no. of pages per issue													
(h) Average no. of pages printed per publishing day.													

B. Total consumption of newsprint during the year (in tonnes) _____

C. Total consumption of white printing paper during the year 1981-82 (in tonnes) _____

Signature of the Publisher _____
Name of the publisher _____
Date _____

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of M/s _____ (name, language and periodicity of the paper) published for the year 1981-82 and have obtained all the information and explanation required by us. In my/our opinion the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, page, size and number of publishing days for the year 1981-82 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Dated: _____

Signature _____

Stamp of the Chartered Accountant

1. Name and signature of the person who has signed the certificate. _____
2. Registration No. _____
3. Address _____

Note: 1 If the average circulation for the year is more than 2,000 copies per publishing day, the certificate should be typed on the letter head of a Chartered Accountant and should be duly countersigned by him.

2 All the averages have to be given month-wise on the basis of the particulars of performance during the relevant month.

3 The figures to be given against (g) should be arrived at by adding the total number of pages of all the issues published during a month and dividing the total by the number of publishing days in that month, while the figures against (h) should be worked out like this: The no. of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue will give the information about the total number of pages printed on the relevant publishing day. The total number of pages printed on all the publishing days in a month should be added. The monthly average should be arrived at by dividing this total by the total number of publishing days in that month.

STATEMENT TO BE GIVEN BY THE PUBLISHERS OF NEW DAILY PERIODICAL

1. Name of the Newspaper/Periodical
 - (a) Name
 - (b) Language
 - (c) Periodicity
2. Date of filing the latest declaration.
3. Proposed date of commencement of the publication
4. Average number of copies proposed to be printed.
 - (a) No. for sale
 - (b) No. for free distribution.
5. Place of printing and particulars of the Press.
 - (a) Particulars of the owner of the press

Name

Address
 - (b) Printing capacity:

Details of printing/composing machine indicating the make, model, speed per hour and present life of the machine.
6. Whether bank guarantee has been executed in the specimen form of the Scheduled bank.
7. If so, the name of the bank and value of the guarantee.
8. Whether newsprint is to be lifted through agent
9. If so, the name of the agent.
10. The term of lifting newsprint in instalments or in one lot, buffer stock/high sea sales.
11. Name of the Editor.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place: _____

Date: _____

Signature _____

Name in the Block letter _____

Designation _____

Residential address _____

PROFORMA FOR BANK GUARANTEE

To

The Registrar of Newspaper for India,
(Ministry of Information & Broadcasting),
West Block 8, 2nd Floor, Wing No. 2,
R.K. Puram, New Delhi-110066.

Dear Sirs,

Whereas M/s. _____
(hereinafter referred to as "Allottee") have applied to you for import of the under-mentioned quantity of newsprint for publication of the newspaper.

Name _____ Language _____

Periodicity _____ Place of publication _____

Approx. Quantity

Approx. CIF price. Rs.

And whereas as per conditions of the advance allocation for the proposed publication, Allottee is required to have a Bank Guarantee for 20% of the approximate value of the newsprint quantity applied for.

Now in consideration of the above premises and at the request of the Allottee, we (Name and address of the Bank) hereby conditionally irrevocably guarantee and undertake that in the event of non-payment of sale price and/or any other default/failure on the part of Allottee to observe all or any of the conditions prescribed/to be prescribed by you, we shall on your first demand pay to you, any sum upto Rs. ————— without demur or without any reference to Allottee

Your decision that there has been a default/failure on the part of the Allottee shall be final, conclusive and binding on us

This guarantee shall not be affected by any forbearance or indulgence of any kind shown by you to the Allottee and/or by any change in the conditions prescribed by you and or in the constitution of the same and/or the Allottee

The guarantee is valid for a period of three months from the date of issue and a claim under it must be referred within six months of the date of its expiry.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF THE AUTHORISED BANK OFFICERS



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 1982/आश्विन 12, 1904
No. 176] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 1982/ASVINA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 49 आईटीसी (पीएन)/82

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1982

मिसिल सं आईपीसी/3/24/79 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना
सं 42 आईटीसी (पीएन)/82, दिनांक 25 अगस्त, 1982 की ओर ध्यान दिनाया
जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट की क्रम सं. 14 में आने वाले विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

“मल्टी स्पिन्दल चकिंग आटोमैटिक्स का चकिंग
डाबा 200 एमएम से अधिक।”

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 49-ITC (PN)/82

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th October, 1982

File No. IPC/3/24/79 .—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 42-ITC(PN)/82, dated the 25th August, 1982.

2. The description appearing against Sl. No. 14 in the Annexure to the said Public Notice, shall read as under :—

“Multi spindle chucking automatics of chucking dia. exceeding 200 mm”.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller, Imports & Exports.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 6, 1982/आश्विन 14, 1904
No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1982/ASVINA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1982

सं० प्रतिप्रदायी/सां० सू० 74/82-प्रतिप्रदायी

सार्वजनिक सूचना

फा० सं० 600 / 2621- 2627, 2629 / 82 प्रतिप्रदायी.—
सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायी नियमावली, 1917
(भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित
अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० प्र०) के नियम 4 के
अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायी/सां० सू०
50/82 दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्न-
लिखित संशोधन करती है:-

1. उपक्रमांक 2621, 2623, 2624, 2625, और 2626 के सामने
स्तम्भ 'माल का विवरण' में 'होजरी फौजरी' शब्दों के स्थान पर 'होजरी
फौजरी बुने हुए फैब्रिक' शब्द रखे जाएंगे।

2. उपक्रमांक 2622 के सामने स्तम्भ 'माल का विवरण' में आने
वाले 'और होजरी' शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उपक्रमांक 2627 और 2629 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

उपक्र- मांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायी की दर	विनिर्धान
			सोमा के०डू० शुल्क शु०
1	2	3	4
2627	फौजरी और होजरी फौजरी बुने हुए फैब्रिक जो मानव-निर्मित मॉल्टिफ्लैट फिलामेंट घागे से तथा/अथवा सॉल्लिस्टैक्सई घागों से अंजना निर्मित हो और उपक्रमांक 2502 के अधीन विनिर्दिष्ट कते हुए घागों से अंजना निर्मित हो।	इस अनुसूची की क्रम सं० 25 और/अथवा 26 के अधीन यथा निर्दिष्ट तन्तु अन्तर्बस्तु और/अथवा घागा अन्त- वस्तु (जिनमें नायलॉन, (पोलिएमाईड) फिला- मेंट घागा अन्तर्बस्तु शामिल नहीं है) की उचित दर जमा	इस अनुसूची की उपक्रमांक 2505 I

1 2 3 4

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th October, 1982

No. DRAWBACK/PN-74/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2621-2627, 2629/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50/82, dated the 1st June, 1982:—

1. In the column 'Description of goods' against Sub. Sl. Nos. 2621, 2623, 2624, 2625 and 2626 for the words "hosiery fabrics", the words "hosiery fabrics/knitted fabrics" shall be substituted.

2. In the column 'Description of goods' against Sub. Sl. No. 2622 the words "and hosiery" shall be deleted.

3. For sub-sl. No. 2627 and 2629 and the entries relating thereto to the following shall be substituted, namely:—

Sub Sl.No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation Cus. C.Ex.
1	2	3	4
2627	Fabrics and hosiery fabrics/knitted fabrics made partly out of synthetic man-made filament yarn and/or synthetic-textured yarns and partly out of spun yarns specified under sub-sl. No. 2502.	Appropriate rate of fibre content and/or yarn content (excluding nylon (polyamide) filament yarn content) as specified under Sub-sl. No. of Sl. No. 25 and/or 26 of this Schedule.	PLUS Rs. 6.25 (Rupees All C.Ex. six and paise twenty five only) per kg. of nylon (polyamide) yarn content where the yarn is textured yarn.
2629	Fabrics and hosiery fabrics/knitted fabrics made out of textile materials, not elsewhere specified.	Appropriate rate of fibre content and/or yarn content (excluding nylon (polyamide) filament yarn content) as the case may be as specified under Serial No. 25 and/or 26 of the	

2629 ग्रन्थाल धननिदिष्ट
टेक्स्टाइल सामग्री से
निर्मित फैब्रिक और
होजरी फैब्रिक/बुने
हुए फैब्रिक

के अधीन विनिदिष्ट
नायलान (पॉलिएमाइड)
फिलामेंट धागा अन्त-
र्वस्तु की उचित दर
का 106 प्रतिशत
(केवल एक सौ छ
प्रतिशत)

जमा

जहाँ धागा टेक्स्टाइल सम्पूर्ण केन्द्रीय
धागा हो वहाँ नाय- उत्पादन शुल्क
लान (पॉलिएमाइड)
धागा अन्तर्वस्तु के
प्रति कि० ग्रा० पर
6.25 रु० (केवल
छ रुपये पञ्चमीस
पैसे)

इस अनुसूची की कम
सं० 25 और/अथवा
26 के अधीन विनि-
दिष्ट यथास्थिति
तन्तु अन्तर्वस्तु और
अथवा धागा अन्तर्वस्तु
(जिनमें नायलान (पॉलि-
एमाइड) फिलामेंट
धागा अन्तर्वस्तु
सामिल नहीं है) की
उचित दर

जमा

इस अनुसूची की
उपक्रमांक 2505 I
के अधीन विनिदिष्ट
नायलान (पॉलिएमाइड)
धागा अन्तर्वस्तु की
उचित दर का 106
प्रतिशत (एक सौ छ.
प्रतिशत)।

जमा

जहाँ धागा टेक्स्टाइल
धागा है, वहाँ नायलान
(पॉलिएमाइड) धागा सम्पूर्ण सीमाशुल्क
अन्तर्वस्तु के प्रति
कि० ग्रा० पर 6.25
रु० (केवल छ.
रुपये पञ्चमीस
पैसे)

जमा

जब निर्यात उत्पाद सम्पूर्ण सीमाशुल्क
का धागा रंगा गया
हो/ नग रंगे गये हों/
उस पर छापाई की
गई हो तो फैब्रिक
अन्तर्वस्तु के प्रति
कि० ग्रा० पर 0.80
रु० (केवल अस्मी
पैसे)

1	2	3	4
		Schedule, subject to the conditions specified therein.	
		PLUS	
		106% (One hundred and six per cent only) of the appropriate rate of nylon (polyamide) yarn content specified under Serial No. 2505 I of this Schedule.	
		PLUS	
		6.25 (Rupees six and paise twenty five only) per kg. of nylon (polyamide) yarn content where yarn is textured yarn.	All C.Ex.
		PLUS	
		0.80 (Paise eighty only) per kg. of fabric content when the export product is yarn dyed/piece dyed/printed in the body.	All C.Ex.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

सं० प्रतिअदायगी 2/सां० सू० 75/82-प्रतिअदायगी

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2619/82 प्रतिअदायगी:—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधरण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित) प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/ (70 प्र० अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 50, दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपक्रमांक 2619 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिर्धान
1	2	3	4
2619 अन्यथा अधिनिर्दिष्ट सभी ऊनी कृत्रिम			
(क) किसी भी सूत्रांक के ऊनी बस्टेड धागे के ताने और बाने में निम्नलिखित	ऊन अन्तर्वस्तु के लिए यथास्थिति उपक्रमांक 2612-2615 के सामने विनिर्दिष्ट उचित दर से प्रति अदायगी		
(ख) किसी भी सूत्रांक के ऊनी बस्टेड धागे के ताने/बाने में तथा ऊनी पदार्थ के काने/गाने से ताने/बाने में निम्नलिखित	ऊन अन्तर्वस्तु के लिए यथास्थिति उपक्रमांक 2612-2615 के सामने यथाविनिर्दिष्ट उचित दर से प्रतिअदायगी।		

स्पष्टीकरण 3- इस अनुसूची के उपक्रमांक 2615 के अन्तर्गत उल्लिखित अर्थात् इस उपक्रमांक पर भी लागू होगी।

(ग) ऊनी पदार्थ में दर की घोषणा बाव काने गाने धागे से ही में की जानी है।
निम्नलिखित

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1982 को लागू हुई समझी जाएगी।

NO. DRAWBACK/PN-75/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2619/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-50 dated 1st June, 1982:—

For Sub-serial No. 2619 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub. Sl.No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation Cus. C.Ex.
2619	All wool fabrics not otherwise specified : (a) fabrics manufactured from woolen worsted yarn of any counts in warp and weft. (b) fabrics manufactured from woolen worsted yarn of any count in warp/weft and yarn spun on woollen system in weft/warp.	Drawback for wool content at the appropriate rate specified against Sub-Sl. No. 2612-2615 as the case may be. Drawback for wool content in the worsted woollen yarn at the appropriate rate as specified against Sub Sl. No. 2612-2615, as the case may be.	

Explanation:— Condition appearing under Sub-Sl. No. 2615 of the Schedule shall also apply to this Sub-Serial Number.

(c) fabrics manufactured wholly from woolen yarn, spun on woolen system. Rate to be announced later.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 76/82

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2729/82-प्र० अ०:—सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 के नियम 4 (दिनांक 25 अगस्त, 1971 को भारत के राजपत्र-प्रसाधरण में प्रकाशित) अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 1982 को सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 37 में प्रकाशित मारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"माल का विवरण" के कालम में उपक्रमांक 2722 के सामने "बिस्कोस फिलायेंट धागा" शब्दों के स्थान पर "एसीटेड फिलायेंट धागे

से बने फिनोमेट धागे को छोड़कर मानव निर्मित सैलूलोजिक फिलामेंट धागा" शब्द रखे जायेंगे।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून 1981 को प्रकट हुई समझी जायेगी।

NO. DRAWBACK/PN-76/82

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2729/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK-PN-37 dated the 26th April, 1982:—

In the column 'Description of goods' against sub-serial No. 2722 for words "viscose filament yarn" the words "man-made cellulosic filament yarn but excluding those made from acetate filament yarn" shall be substituted.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

सं० प्रतिभवायगी/सां सू० 77/82

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2729/82-प्र० अ० :- सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभवायगी नियमावली, 1971 के नियम 4 (विनांक 25 अगस्त, 1971 को भारत के राजपत्र-प्रसाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विनांक 1 जून, 1982 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभवायगी/सां सू०-50 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"माल का विवरण" कॉलम में उपक्रमांक 2729 के सामने "सैलूलोजिक फिलामेंट धागा" शब्दों के स्थान पर एसीटेट फिलामेंट धागे से बने फिलामेंट धागे को छोड़कर मानव निर्मित सैलूलोजिक फिलामेंट धागा" शब्द रखे जायेंगे।

यह सार्वजनिक सूचना विनांक 1 जून, 1982 से प्रकट हुई समझी जायेगी।

NO. DRAWBACK/PN-77/82

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2729/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971—(Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50 dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Description of goods' against sub-serial No. 2729 for the words "cellulosic filament yarn" the words "man made cellulosic filament yarn but excluding those made from acetate filament yarn" shall be substituted.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

सं० प्रतिभवायगी/सां सू० 78/82 प्रतिभवायगी

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/104/82-प्रतिभवायगी का० सं० 600/109/82 प्रतिभवायगी:-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र प्रसाधारण, विनांक 25 अगस्त,

1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभवायगी/सां सू० 50 विनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपक्रमांक 104, 105, 106, 107, और 109, के सामने स्तम्भ "प्रतिभवायगी की दर" और "विनिधान" में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

उपक्रमांक प्रतिभवायगी की दर	विनिधान	
	सीमाशुल्क उत्पादन	केन्द्रीय शुल्क
104 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 6.50 रु० (केवल छः रुपये पचास पैसे)	सम्पूर्ण उत्पादन	केन्द्रीय शुल्क
105 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 2.50 रु० (केवल दो रुपये पचास पैसे)	सम्पूर्ण उत्पादन	केन्द्रीय शुल्क
106 फल उत्पाद आदेश 1955 में विनिर्दिष्ट पूर्ण श्वेण घुलनशील ठोस के न्यूनतम प्रतिशत धनुपात पर पूर्ण स्पेण घुलनशील ठोस के प्रति कि० घा० पर 0.50 रु० (केवल पचास पैसे)	सम्पूर्ण उत्पादन	केन्द्रीय शुल्क
107 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 9.00 रुपये (केवल नौ रुपये)	सम्पूर्ण शुल्क	केन्द्रीय उत्पादन 34.00 34.00
109 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 68.00 रु० (केवल अड़सठ रुपये)	सम्पूर्ण शुल्क	केन्द्रीय उत्पादन 34.00 34.00

यह सार्वजनिक सूचना 1 नवम्बर, 1982 को लागू होगी।

NO. DRAWBACK/PN-78/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/104/82-DBK./F. No. 600/109/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50, dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Rate of drawback' and 'Allocation' against Sub-Sl. Nos. 104, 105, 106, 107 and 109 for the existing entries the following shall be substituted, namely:—

Sub. Sl. No.	Rate of drawback	Allocation	
		Cus.	C. Excise
104	Rs. 6.50 (Rupees six and paise fifty only) per quintal of net contents.	All C.	Excise.
105	Rs. 2.50 (Rupees two and paise fifty only) per quintal of net content.	All C.	Excise.
106	Rs. 0.50 (Paise fifty only) per kg. of TSS on the minimum percentage of total soluble solid (TSS) specified in the Fruit Products Order, 1955.	All C.	Excise.
107	Rs. 9.00 (Rupees nine only) per quintal of net contents.	All C.	Excise.
109	Rs. 68.00 (Rupees sixty eight only) per quintal of net contents.	34.00	34.00

This Public Notice shall come into force on the 1st day of November, 1982.

सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 79/82 प्रतिप्रदायगी

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/502/82-प्रतिप्रदायगी.- सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियम, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 50, दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपक्रमांक 502 के सामने कालम "प्रतिप्रदायगी की दर" में मौजूदा प्रतिशत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

उपक्रमांक	प्रतिप्रदायगी की दर
502.	चोट पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छ प्रतिशत)

यह सार्वजनिक सूचना 1 नवम्बर, 82 को लागू होगी।

जे० एस० आर० खाजिग, प्रवर सचिव

NO. DRAWBACK/PN-79/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/502/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India - Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-50, dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 502 for the existing entry, the following shall be substituted namely:—

Sub.	Rate of drawback
Sl. No.	
502	6% (Six per cent only) of f.o. b. value.

This Public Notice shall come into force on the 1st day of November, 1982.

J S.R. KHATHING, Under Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 1982/आश्विन 15, 1904
No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, OCT. 7, 1982/ASVINA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 58-आईटीसी (पीएन)/82

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1982

आयात व्यापार नियंत्रण

विषयः—अप्रैल 1982, मार्च 1983 के लिए आयात एवं निर्यात नीति ।

मिसिल सं० 1/2/आरईवी/74-ईपीसी —वाणिज्य मंत्रालय की ध्यासशोधित सार्वजनिक
सूचना सं० 16-आईटीसी (पीएन)/82 दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के प्रसंगत प्रकाशित अप्रैल
1982 मार्च 1983 के लिए आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे दिए हुए उपयुक्त स्थानों पर किए हुए समझे जायेंगे :—

क्रम आयात-निर्यात नीति सं० 1982-83 (जिल्द-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1	244	परिशिष्ट-25 के लिए अनुबंध, तीसरी पंक्ति में शब्द "एक" विपणन विकास सहायता को संशोधित करके "दस" के सहायक अनुदान के कोड पड़ा जाए। के अंतर्गत आने वाले निर्यात सदस्यों द्वारा निर्यात संवर्धन कार्य कक्षाप, परा 5

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य प्रभियंता, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 58-ITC (PN)/82

New Delhi, the 7th October, 1982

IMPORT TRADE CONTROL

Subject:—Import and Export Policy for April, 1982—March, 1983.

File No. 1/2/REP/74-EPC.—Attention is invited to the Import and Export Policy for April, 1982—March, 1983, published under the Ministry of Commerce, Public Notice No. 16-ITC(PN)-82 dated the 5th April, 1982, as amended.

2. The following amendment shall be deemed to have been made in the policy at appropriate place indicated below:—

Sl. Page No. of Import & Export No. Policy 1982-83 (Vol-I)	Reference	Amendment
1.	2.	3.
1.	244	Annexure to Appendix 25, Export Promotion Activities by Export Houses covered by Code of Grants In-Aid of Market Development Assistance, Para 5.

MANI NARAYANSWAMI

Chief Controller of Imports & Exports



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रामाणिक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904
NO. 179] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय
(श्रम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1982

संख्या यू/23013/8/78-एल. डब्ल्यू. (वाल्चम 2) —भारत के राजपत्र, अमा-
धारण, भाग 1, खंड-1, दिनांक 7 अक्टूबर, 1977 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के
संकल्प संख्या यू/23013/10/77-एल डब्ल्यू., दिनांक 7 अक्टूबर, 1977 के पैरा 2
का वार्षिक संशोधन करने हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है,
अर्थात् :—

उक्त संकल्प में क्रमांक (6) के समक्ष “श्री एन. पी. धनिया, महा-
प्रबन्धक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली” मन्दी

और अक्षरो को "श्री पी एन सिंह, उप निदेशक (आई आर),
स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया, इस्पत भवन, लोदी रोड,
नई दिल्ली" स प्रतिस्थापित किया जाए ।

लक्ष्मीधर मिश्रा, महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th October 1982

No U/23013/8/78-LW(Vol II).—In partial modification of para 2 of the Ministry of Labour's Resolution No U/23013/10/77-LW dated the 4th October, 1977, published in Gazette of India Extraordinary Part I Section I dated 7th October, 1977, Central Government hereby makes the following amendments namely —

In the said Resolution against Serial No (6) for the words and letters "Shri N. P. Dhusia General Manager Steel Authority of India Limited, New Delhi"—"Shri P. N. Singh, Deputy Director (IR), Steel Authority of India Limited, Ispat Bhavan, Lodhi Road, New Delhi" may be substituted

LAKSHMIDHAR MISHRA, Director General (Labour Welfare)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 1982/आश्विन 23, 1904

No. 180]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1982/ASVINA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

1

2

4

(राजस्व विभाग)

संप्रति अदायगी, सा 040 80 82 प्रति अदायगी

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 15 अक्टूबर 1982

फा सं 600 2 30 8/प्रान अदायगी सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1। भारत के राष्ट्रपति, असाधारण दिनांक 10 अगस्त 1977 में कानून अधिसूचना सं० 7/फा० सं 602/70-प्र० सं० 1) द्वारा जारी की गयी केन्द्रीय सरकार मार्ग-जनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी सं० सं० 50 दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित माला में दर्ज की गयी। सहायन वरती है

उपक्रम सं 623 प्र० 1982 में मन्त्रिण परिषद् के पश्चात् निम्न-लिखित उपक्रम 1982 में उससे सम्बन्धित विविधियां स्थापित की जाएगी, अर्थात् --

उपक्रमिक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिधान सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पादन
1	2	3	4
2634	कार्बोनीकृत फैब्रिक	(1) पालिग्रेटर तन्तु अन्तर्वस्तु पर 49 90र० (केवल उत्तम रूप से नब्बे	संपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

पैसे) प्र० कि० 100 की दर से प्रतिअदायगी

जमा

(1) जहाँ निम्न उत्पादन संपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का स्थान रखा गया है। जहाँ उसकी छपाई का गड़हा आयाजण रखा है। तब निम्न उत्पादन प्रति कि० 100 पर 10 90 रुपय (केवल नब्बे पैसे)

जमा

(111) जिस कार कपड़े से संपूर्ण कार्बोनीकृत फैब्रिक का निर्माण केन्द्रीय उत्पादन किया गया है, उसमें प्रयुक्त शुल्क धागे के प्रति कि० 100 पर शुल्क किये गये कुल उत्पादन शुल्को (जिनमें हथकरघा उपकरण शामिल नहीं है) का 104 प्रतिशत (केवल एक सौ चार प्रतिशत)।

(1V) अन्य तन्तु अन्तर्वस्तु जहाँ कोरे कपड़े में (जिनसे कार्बोनीकृत फैब्रिक का

1	2	3	4
	निर्माण किया गया हो। सूती तथा पॉलिएस्टर से मिश्रित तन्तु शामिल हो (हो) गरे तन्तु (तन्तुओं) पर प्रति-अक्षयता का दावा अन्तर्मुखी की मगन उपरमाव के अनुसार उचित दर पर अदा की जाएगी।	only) per kg on the polyester fibre con- tent. PLUS (ii) Re. 0 90 (Paise nine- ty only) per kg. of export product where the product is yarn dyed/piece dyed/ printed/mainly co- loured.	

उपर्युक्त (iii) और (iv) के प्रवर्धन कर का वसूल, निर्यातकर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी से जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक के अधीन में नीचे का नहीं हो, निम्नलिखित के संवोध में मादय प्रस्तुत करेगा कि:-

(क) मगन कर के कपडे में पॉलिएस्टर और सूती तन्तु अन्तर्वस्तु स
मिश्रित) कुल तन्तु अन्तर्वस्तु और

(ख) मगन कर के कपडे में कनेटिंग और प्रथवा फिनामेट धागा अन्तर्वस्तु
की कुल मात्रा (यह मात्रा अलग अलग दी जाती है)।

टिप्पणी:- कना हुआ धागा अन्तर्वस्तु पर पॉलिएस्टर, सवधित गहायक
समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में यह मादय पेश करने पर दी जाएगी कि
धागे के निम्नलिखित ऐसे धागे पर बिना किसी विशेष के उचित केन्द्रीय
उत्पादन शुल्क की अदायगी कर दी है।

यह मार्चजतिक सूचना 1 जून, 1982 को प्रवृत्त हुई गयी।

जे० एम० आर० खाथिंग, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

No. DRAWBACK/PN-80/82

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th October, 1982

F. No. 600/2634/82-DBK—Under rule 3 of the Customs & Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAW PA 6 PN-50 dated the 1st June, 1982 —

After Sub-serial No. 2633 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation Cus. C C.EX.
1	2	3	4
2634	Carbonised Fabric	(i) Drawback of Rs. 49.90 (Rupees forty nine and paise ninety	All C.EX.

PLUS
(iii) 104% (One Hundred and four per cent

only) of the total excise duties paid (excluding handloom Cess) per kg. of yarn utilised in the manufacture of grey fabric from which carbonised fabrics have been manufactured.

PLUS

(iv) Other fibre(s) content : Where the grey fabric (from which the carbonised fabric has been manufactured) contains fibre(s) other than cotton and polyester, such fibre(s) in the grey fabric shall be paid drawback at the appropriate rate as per the relevant sub-serial No. 26 of the Drawback Schedule.

For the purpose of payment of (iii) and (iv) above, the exporter shall produce evidence from an officer of Central Excise not below the rank of Supdt. of Central Excise in respect of :—

- total fibre content (other than polyester and cotton fibre content) in the relevant grey fabric; and
- total quantity of spun and/or filament yarn to be separately furnished content in the relevant grey fabric.

Note :—Drawback on account of spun yarn content shall be paid subject to the production of evidence to the satisfaction of the Asstt. Collector concerned that appropriate Central Excise Duty has been paid on such yarn without protest by manufacturer of yarn.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

J. S. R. KHATHING, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 1982/आश्विन 23, 1904
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1982/ASVINA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात अधिनियम

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1982

सार्वजनिक सूचना सं० 51—आईटीसी(पीएन)/82

विषय अधिनियम, 1982-मार्च 1983 के लिए आयात-निर्यात नीति

मि० सं० आई पी सी/3/34/9—यथा मण्डलित वाणिज्य मंत्रालय
की सार्वजनिक सूचना सं० आईटीसी(पीएन)/32, दिनांक 4 अप्रैल, 1982
के अन्तर्गत प्रकाशित अधिनियम 1982-मार्च, 1983 को आयात-निर्यात
नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 निम्नलिखित मण्डलित नीति दिए गए के अनुसार नीति में उचित
रखाना पर किया जाएगा —

क्रम	आयात-निर्यात नीति	वर्ष	मण्डलित
सं०	निर्यात नीति	1982-83	(निम्न-1)
	का पृष्ठ सं०		

1	2	3	4
1	24	अध्याय 14, वर्तमान उप-कठिना (3) के बाद कठिना 49 निम्नलिखित उप-कठिना (4) (1) को जोड़ा जाएगा।	

1 2 3 4

“(4) (1) से (3) तक ऊपर
उल्लिखित विदेश में रहने वाले
और निवासियों भारतीयों द्वारा
कम से कम 60 % तक
कर्मनिष्ठा, फर्म, समितियाँ और
एवं प्रकार की स्वामित्व वाली
अन्य सहकारी संस्थाएँ।”

2 24 अध्याय 14 निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा
कठिना 90 जावेगा —

(1) “(उपरोक्त उप-कठिना में दर्शाएँ
गए 20 पंक्तिगत योग्य संबंधित
पात्र व्यक्ति के थे, कपनी,
फर्म, समिति या एवै प्रकार की
स्वामित्व वाली अन्य सहकारी
निकासों के तम से कम 60
पंक्तिगत तक ऊपर उस व्यक्ति
के पास हो।”

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th October, 1982

PUBLIC NOTICE NO 51-ITC(PN)/82

Subject —Import & Export Policy for April, 1982—
March, 1983

F. No. IPC/3/36/79 —Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1982—March, 1983 published under the Ministry of Commerce Public Notice No 16-ITC (PN)/82 dated the 5th April, 1982, as amended

2. The following amendment shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No of Import & Export Policy, 1982-83 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	24	Chapter 14, Para 89(1)	After the existing sub-para (iii), the following new sub-para (iv) shall be added :—

1	2	3	4
			“(iv) Companies, firms, societies and similar other corporate bodies, owned to the extent of at least 60% by non-resident persons referred to in (i) to (iii) above ”
2	24	Chapter 14, Para 92(1)	The following shall be added at the end —
			“(20 percent share referred to in this sub-para may be of the eligible person concerned or of a company, firm, society or similar other corporate body owned to the extent at least 60 percent by such person)”

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, सोमवार, अश्विन् 28, 1982/आश्विन 28, 1904
No. 182] NEW DELHI, MONDAY, OCT, 18, 1982/ASVINA 28, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वस्थ विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1982

संख्या यू० -12012/28/81 एम० ई० (पी०) -- 9 सितम्बर 1981 के संकल्प
संख्या य० 12012/28/81 एम० ई० (नीति) के अनुसरण में भारत सरकार के स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्रालय उक्त संकल्प में निर्दिष्ट विचारार्थ विधियों में सम्बन्धित मामलों
की पुनरीक्षा करने के लिए 5 जन 1982 के संकल्प संख्या य० 12012/28/81 एम० ई०
(पी०) द्वारा एक चिकित्सा निष्ठा पुनरीक्षा समिति का गठन किया था जिसने 30 सितम्बर,

1982 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार का प्रस्तुत करनी थी। इस समिति का कार्यकाल श्रद्धाकर अब 31 दिसम्बर 1982 तक किया जाता है।

सी० बी० एस० मणि, अधीक्षक सचिव ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th September, 1982

No. U-12012/28 81-ME(P).—In pursuance of Resolution No. U-12012/28/881-ME(P), dated the 8th September, 1981 the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare had set up a Medical Education Review Committee to review the matters set out in its terms of reference, specified in the said Resolution. Vide Resolution No. U-12012/28/81-MF(P) dated the 5th June, 1982, the Committee was to submit its report to the Central Government by the 30th September, 1982. The tenure of the Committee is now extended upto 31st December, 1982.

C. V. S. MANI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 1982/आश्विन 26, 1904

No. 183]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 1982/ASVINA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वर्णिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 52-आई टी सी (पी एन)

नई दिल्ली 28 अक्टूबर 1982

विषय: जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (एफ ई सा एफ)
द्वारा प्रदान किए गए तमिलनाडु राज्य विजयी बोर्ड (ई एन एम
ई बी) के लाघर मेट्रॉ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन
के लिए 7.6 बिलियन येन ऋण के प्रयोजन माल और सेवाओं
के आयात के संबंध में लाइसेंस गतें

मि० सं० आई पी सी/23 (24)/81 में जारी वर्णिज्य मंत्रालय की
सार्वजनिक सूचना सं० 5 आई टी सी (पी एन)/82 दिनांक 23 जनवरी,
1982 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें जापान की विदेशी आर्थिक
सहयोग निधि द्वारा प्रदान किए गए तमिलनाडु राज्य विजयी बोर्ड के
लाघर मेट्रॉ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 7.6
बिलियन येन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में
आयात लाइसेंस जारी करने से संबंधित जानकारी दी गई थी।

2 यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के
परिणित में उल्लिखित लाइसेंस शर्तों के खंड 5 (4) को निम्नलिखित
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

'साख पत्र के अन्तर्गत मीदे तय करने के लिए साखपत्र खालने
हमका रख-रखाव करने और पत्रिलान करने के लिए टाकिया स्थित
भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रसार और यदि कोई हो तो,
विदेशी मभरक के बैंक के प्रयोग प्रभावक पर्यान् तमिलनाडु राज्य विजयी
बोर्ड द्वारा चुकाए जाएंगे

टाकिया स्थित भारतीय बैंक द्वारा जापानी मभरक का किए गए
मुचालन को निधि में प्राप्त हो सका द्वारा टाकिया स्थित भारतीय बैंक
का को नई प्रतिपत्ति को तारोश्च तक का प्रबंध के लिए अथा किए जान
वाले व्याज प्रसार का खर्च जापानी मभरक अर्थात् मयेशी सूचितोमा
कॉर्पोरेशन, टोकियो द्वारा किया जाएगा और न कि अयातक द्वारा।

ह०/—

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-
नियंत्रण

तख्त राम मयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्या

**MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT-TRADE CONTROL**

PUBLIC NOTICE NO. 52-ITC(PN)/82

New Delhi, the 18th October, 1982

Subject Licensing conditions in respect of import of goods & services under the Yen Credit of Yen 7.6 Billion for the implementation of the Lower Mettur Hydro Electric Project of the Tamil Nadu State Electricity Board extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan.

G. No. IPC 23(4) 81—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 51-ITC(PN) 82 dated the 23rd January, 1982 notifying the terms and conditions governing issuance of import licences in respect of import of goods and services under the OECF Loan Agreement Yen 7.6 Billion for implementation of the Lower Mettur Hydro Electric Project of the Tamil Nadu State Electricity Board.

2. It has been decided that Section V(iv) of the licensing conditions mentioned in Appendix to the aforesaid Public Notice may be substituted by the following—

Banking charge payable to the Bank of India, Tokyo for opening, maintenance and operation of the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of Overseas suppliers' bankers are to be borne by the importer (viz. Tamil Nadu Electricity Board).

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment to the Japanese supplier by Bank of India, Tokyo up to the date of reimbursement by the OECF to Bank of India, Tokyo shall be borne by the Japanese supplier viz. M. S. Sumitomo Corporation, Tokyo and not by the importer.

Sd/

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

LAKHAI RAM, Jr. Chief Controller of Imports & Exports

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21 1982/आश्विन 29, 1904
No 184] NEW DELHI, THURSDAY 21 OCT 1982/ASVINA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या : जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विश्व संवालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 अक्तूबर, 1982

संख्या 1/24/82-एन.एन.—इस सूचना की दिनांक 16 अक्टूबर, 1973 की, समय-
समय पर प्रकाशित की गई थी। संख्या 1/11/73-एन.एन. सं० 72 का जो 16 अक्टूबर
1973 में भारत के संसदीय राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, निम्न में परिष्कार किया
गया है —

पैरा 5 की 7 वीं पंक्ति में 'दावा लाटरी निवार्तन या तारीख' शब्दों के स्थान पर "दावा
लाटरी के परिणामों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख" शब्द प्रविस्थापित किए जायेंगे।

अतिरिक्त मन्त्र निवारि, संयुक्त सचिव

— — — — —
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1982

No. 3/24 82-NS.—This Ministry's Notification No. 3(11)-NS/72 dated 16th October 1973, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 16th October 1973 as amended from time to time, may be further amended as under:—

In para 5, in the penultimate sentence, the words "date of draw" shall be substituted, by the following, namely "date of publication of the results of the draw in the Gazette of India"

A. C. TIWARI, Jt. Secy

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 1982/आश्विन 30, 1904
No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 1982/ASVINA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1982

सं० 17-प्रेज/82 —राष्ट्रपति, संस्कृत, अरबी और फारसी के निम्नलिखित विद्वानों
को सम्मान पत्र सहित प्रदान करने हैं :-

संस्कृत

श्री अरवि शिवदत्त शर्मा
श्री भालचन्द्र शास्त्री वामन करमदेवकर
श्री मयदेव भागवती
डा० धर्मेश नाथ शास्त्री
श्री जगदीश शर्मा

श्री महाशंकर बेलाभाई शुक्ल अग्निहोत्री
श्री माय. प्रसाद त्रिपाठी
श्री मृत्तुकृष्ण शास्त्री, रा०
श्री नावलपक्कम अय्या देवनाथशास्त्र्य
श्री अट्टट्टु उणिण नम्बुदिरिपाद

अरबी

मोहम्मद मेहमूद सुरती
मुहम्मद यूसुफ कोकन

फारसी

श्री भगवन स्वरूप
श्री खैज़र अली खान

मु०/नीतिकण्ठन, राष्ट्रपति का उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi the 15th August, 1982

No. 47-Pres./82.—The President is pleased to award Certificate of Honour to the following scholars in Sanskrit, Arabic and Persian :—

SANSKRIT

1. Shri Anbam Shivalutta Sharma
2. Shri Chatchendra Shastri Waman Karambelkar
3. Shri Bhayadeva Bhagavat
4. Dr. Dharmendranath Shastri
5. Shri Jagdish Sharma
6. Shri Mahashanker Chelabhai Shukla Agnihotri
7. Shri Maya Prasad Tripathi
8. Shri Muthukrishna Shastri, R.
9. Shri Navalpakkam Ayya Devanathacharya
10. Shri Ottu Umm Nambudiripad

ARABIC

1. Mohammed Mehmood Surti
2. Muhammad Yousuf Kokan

PERSIAN

1. Shri Bhagwat Saroop
2. Shri Khizer Ali Khan

S. NILAKANTAN, Dy Secy.
to the President



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 23, 1982/कार्तिक 1, 1904
No. 186] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1982/KARTIKA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 53-आई०टी०पी० (पी०एन०)/82

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1982

विषय:—महानिदेशक डाक एवं तार की दूरसंचार परियोजना (5) के
लिए येन 6.0 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और
सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आई०पी०सी०/23(34)/82—जापानी विदेशी प्राधिक
सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा महानिदेशक, डाक एवं तार की
दूरसंचार परियोजना (5) के लिए येन 6.0 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन
माल और सेवाओं के आयात के संबंध में आयात लाइसेंस जारी करने से
संबंधित जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें
जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 53-आई०टी०पी०
(पी०एन०)/82, दिनांक 23 अक्टूबर, 1982 का परिशिष्ट

जापान की विदेशी प्राधिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा
प्रदान किए गए दूर संचार परियोजना (5) के लिए येन 6.0 बिलियन
के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस
शर्तें :

खंड—1 सामान्य शर्तें :

1(1) डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना की
आयात आवश्यकताओं को वित्तवान करने के लिए जापान की विदेशी
प्राधिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा प्रदान किया 6.0
बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस
क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और
अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं।
ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्लोट देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं सर्वोच्च और उच्च मूल्य के लिए
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी
विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हों।
इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सी) येन का मूल्य
6,600 मिलियन (सात-बीमा-साढ़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूप में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की
तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी
की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई०टी०पी० (पी०एन०)/74, दिनांक
6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर
निर्धारित किया जाएगा, जिसमें वह उल्लेख है कि सोपाशुलक प्राधिकारी
और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सी) में विनि-
विष्ट मुद्रा विनियम दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम डालेंगे। लाइसेंस पर
एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई०टी०पी०-19" होगा। प्रथम

और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस०/जे०सी०" कोड़ होगा। डी०जी०पी० एण्ड टी० को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल डी०जी०पी० एण्ड टी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) डी०जी०पी० एण्ड टी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 6600 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वधता में वृद्धि डी०जी०पी० एण्ड टी० द्वारा आवेदन करने पर 31-12-86 तक की जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के प्रादेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निःशुल्क के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा। "पक्के प्रादेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय प्रादेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के प्रादेश या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं मसूदा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, इस्स्यू०ई०-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के प्रादेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आवेदक क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसकी वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए

गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुरन्त रुपया जमा कराने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलदान पर भ्रमण-भ्रमण भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद महीने परन्तु अधिक से अधिक के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निर्दिष्ट करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-86 के बाद की न हो।

बंड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की धिश के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय प्रादेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) डी०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मुख्य निर्वहन अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, यदि माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खुशी अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से निम्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का विचार है जिसका भुगतान ऋण की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि(यो) अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और कारणों सहित निधि को भेजे जाएं।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने के तुरन्त बाद बोलिकाओं के लिए सभी नोटिस, प्रादेशों, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विनिर्दिष्टकरण और ड्राईस और बोली लगाने से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां पूर्व अनुमोदन के लिए निधि को भेजी जाएगी। डी०ई०सी०एफ० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज/आवेदन पत्र दो प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाएं।

2(3) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1979-80 के लिए डी सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी -19 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसका स्वीरा नीचे खण्ड-6 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा को जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है। जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होनी की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(5) संभरक की पात्रता:

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे।

2(6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—“मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संभरित किया जाने वाला मालमें (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।”

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार 30% से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} - \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज कर निःशुल्क मूल्य}} \times 100$$

और

“मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा स्थापित करता हूँ कि (पात्र स्रोत देश का नाम) में (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रियों द्वारा नियंत्रित है।

2(7) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयातक

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तियन किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बार बार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} - \text{आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निः शुल्क मूल्य}} \times 100$$

खण्ड-3 संभरक ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें :

3(1) संभरक ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी एक) के बीच दूर संचार परियोजना 5 के लिए येन क्रेडिट सं० आई बी पी-19 (परियोजना सहायता) से संबंधित 14 मई, 82 को हुई ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और आपासी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी एक) के बीच येन क्रेडिट सं० आई बी पी-19 से संबंधित 14 मई, 82 को हुई ऋण समझौते के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर फो ई सी एक द्वारा येन ऋण के अधीन प्रेषित हों।

(घ) 2 (6) में उल्लिखित प्रवृत्त में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि आपानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्गों के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत लदान में कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास की सूचना देगा जिसमें कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। आपानी

संभरक की प्रत्येक पोतलवान के पश्चात आवश्यक धोरे बेटे हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी एक) द्वारा ठेके की अनुमोदन :

4(1) लाइसेंसधारी को पत्रके आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विदेशी संभरकों बीनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पृष्ठ आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय मार्फत ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य प्राशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग दूर संचार परियोजना (5) के लिए येन क्रेडिट सं० आई बी पी-19 (परियोजना सहायता) के अंतर्गत वित्तियन करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (फो ई सी एक) को संविदा वस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड-5 विदेशी संभरकों के भुगतान साख पत्र क्रियाविधि :—

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी एक) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा महानिदेशक, डाक एवं तार और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद महानिदेशक डाक एवं तार को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी० ए० ए० ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी० ए० ए० ए० ए० संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र 4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जो संबंधित विदेशी संभरक के नाम में वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबंध 5 के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबंध-6 के रूप में अपरिवर्तनीय साख खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो, शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहयोग निधि) (फो ई सी एक), भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साख पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी एक) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी० ए० ए० ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या प्रत्यया के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतलवान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साख पत्र में उल्लिखित वस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा यदि वस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंक के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयात

की लागत की धनराशि की प्रति पूर्ति विदेशी प्राधिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र को खोलने रख-रखाव और परिचालन पर किए गए या आयातक सभी खर्च विदेशी संभरकों या आयातक के लेखे में जाएंगे। अतः भारतीय बैंक, टोकियो संभरक बैंक या आयातक से सभी खर्च प्राप्त करेगा, वस्तावेजों को सम्भाल के रखने और मोल-सोल करने और अन्य आकस्मिक खर्च भी संभरकों आयातकों द्वारा किए जाएंगे।

संभरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्तनि . शुल्क मास की लागत के भुगतान की तिथि और ओई सी एकद्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय का ब्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास, जापान द्वारा ब्याज भुगतान पर किया गया खर्च डाक एवं तार विभाग वेल्डिंग-6 (4) से प्राप्त किया जाएगा। खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व:

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार महानिदेशक डाक एवं तार के प्राधिकृत बैंक को परक्रम्य जहाजरानी वस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हाजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक होगी जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अवधि जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा। वेल्डिंग सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 12-10-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974, विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाये वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की यह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्दिष्ट की गई हो जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "क डिपोजिट्स एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परवेजिज एटस्ट्रा एनोड ब्रंजर क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट" लोन फ्रॉम दि गवर्नमेन्ट आफ जापान 6.0 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई टी सी 19 फार परियोजना (5) होना चाहिए (लेकिन 31-5-1974 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में दिए गए ब्याज प्रभारों की गणना और निक्षेप संबंधी व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागों के आयातों के संबंध में ब्याज प्रभार वसूल नहीं किए जाते।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हाजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/08, दिनांक 30-8-1968 सं० 233-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (प्राधिकार्य विभाग) द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से यह प्रतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के भिन्न

सेवेगा जो वित्त मंत्रालय (प्राधिकार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। आयात के विभिन्न कालों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना आयात के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्योरे में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं खजाना आयात में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि

उसके पश्चात् सी ए ए एंड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन वस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना आयात रुपया जमा करने का साध्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो की भवायगी की सूचना और अपरिर्तनीय पोतलवान वस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एंड ए० वित्त मंत्रालय (प्राधिकार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियमन नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित 'एस' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बंबई की भेजना चाहिए।

भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को दिए गए ब्याज प्रभार प्राप्ति के अनुसार ही येन भुगतान के तुल्य रुपए की गणना की उपर्युक्त खंड 6 की कंडिका 6(1) में निर्धारित तरीके से की जाएगी और मुख्य लेखाधिकारी के नाम में जमा करा दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली सी० ए० ए० एंड ए० इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त परामर्श जारी करेगा।

खंड—7 विविध व्यवस्थाएं —

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलवान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, प्राधिकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये।

7(2) संभरकों की विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना।

लाइसेंस धारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगन करा लेना चाहिए जो मास के मास में संभरक पर प्रभाव डालती है।

7(3) विवाद

वह समय लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्तों" के अंतर्गत प्रकटी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

7(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन

क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई०डी० पी०-14 के अधीन सभी प्राधारों की विदेशी आर्थिक नियम निधि, जापान (ग्रो० ई० सी० एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निवेशों, अनुदेशों या आवेशों का वाइसेसधारी को सुरक्षित पालन करना होगा।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपरोक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाई की जाएगी।

7(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध-1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3. अनुबंध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुबंध
4. अनुबंध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध-5 साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबंध-6 साख पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबंध 1

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ग्रो० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिश्र

मोरोको

तुनीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्सवाना

वरण्डो

कैमेरून

केपवर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र

चाड

कमोरी द्वीप समूह

कांगो डेलीमें का गणतंत्र

भूमध्य गिनी (1)

इथोपिया

जाम्बिया

घाना

गिनी

ग्रीनवीच कोस्ट

केनिया

ले सोये

लाइबेरिया

मालागांसी गणतंत्र

मालीबी

माली

मार्तिनिया मारीशस

मुजाम्बीक

लाइबेरिया

पुर्तगाली गिनी

रियूनियन

रोडेशिया

रवान्डा

सेंट हेलेना और डेस (2)

साओटोम और प्रिन्साइप

सेनेगाल

सेचेलीज

सियरा लियोन

सोमालिया

सुडान

स्वाजी लैण्ड

टेरी अपर्स और इरसास

टोगो

गुगण्डा

तंजानिया संयुक्त गणतंत्र

अपर बाल्टा

जाहिर गणतंत्र

जाम्बिया

3 अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बाहामस

बारबाडोस

बेलीज

बैरमुड

कोस्टारिका

क्यूबा

डोमिनिकान गणतंत्र

ई० आई० साल्वेडोर

ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला

हेली

होण्डुरस

जेमेक

मार्टिनिक्का

मार्टिनिक्का

मेक्सिको

नीनरलण्ड एन्टिलीज

निकारगुवा

पनामा

सेंट पियरों और मिक्योलोन

ट्रिनिडाड और टो बोगो

वेस्ट इण्डीज (शाखा)

एन० आई० ई० (क)

(क) सम्बंधित राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिण अमेरिका :

अर्जेन्टीना

बोलिविया

ब्राजील

चिली

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फोर्नेरो पी द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—

असेन्शन ट्रिस्टन डा न एक्सीसिवर, नाइटिंगेल राफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरज बॉनेरे क्युराकाओ साहा, सेन्ट मार्टिन (दक्षिणी भाग)

कोलम्बिया	पापुवा न्यू गिनी
फास्फोरस द्वीप समूह	सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
फासीसी गिनी	टोगा
गुयाना	वालिस और फुतुना
पाराग्वे	पश्चिमी समाओ
पीरू	
सुरिनाम	
उरुग्वे	
5 मध्य पूर्वी एशिया	9. यूरोप
बेहरीन	सहस्रप्रम
इजराइल	जिब्राल्टर
जोर्डन	ग्रीक
लेबनान	माल्टा
ओमान	स्पेन
सिरिआई अरब गणतंत्र	तुर्की
यूनाइटेड अरब एमीरात (3)	यूगोस्लाविया
यमन अरब गणतंत्र	
यमन जनवादी डी० आर० (4)	
6 दक्षिणी एशिया	(1) मुख्य द्वीप समूह एंडिगुवा डोमिनिका ग्रेनाडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट किट्स), नेविम-एन्सियुला, सेन्ट लुसिया और सेन्ट विसेन्ट
अफगानिस्तान	(2) मुख्य द्वीप समूह, मोन्तेसेरात, सेमान, तुर्कस और काईकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह
बांगला देश	(3) अजमान, बुबई, फुजैरह, राम अल खेमाह, शारजाह और उम अल क्वैयन
भूटान	(4) अवन और विभिन्न सुलतनत और अमीरात महिन
बर्मा	(5) सोमायटी द्वीप समूह (ताहिती महिन) को शामिल करने हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोतु आम्बोअर ग्रुप और माकेमिस द्वीप समूह
भारत	(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कोरोलिन द्वीप समूह द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाभको छोड़कर)
माल द्वीप	
नेपाल	
पाकिस्तान	
श्री लंका	
7. सुदूर पूर्वी एशिया	(क-2) ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश :
बरुनी	अल्जीरिया
हांगकांग	बोलिविया
खमेर गणतंत्र	लिबियन अरब गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र	गोबान
लाओस	नाइजीरिया
मकाओ	इक्वेडोर
मलेशिया	बेन्जुएला
फिलिपाइन	ईरान
सिंगापुर	ईराक
लाइबान	कुवैत
थाईलैण्ड	कानार
तिमोर	सऊदी अरब
वियतनाम गणतंत्र	अनुषावी
वियतनाम जनवादी गणतंत्र	इण्डोनिशिया
8. ओसिनिया	
कोक द्वीप समूह	
फिजी	
गिलबर्ट और एलाइस द्वीप	
फासीसी पोलिनेशिया (5)	
नीद	
न्यूक्लेडोनिया	
न्यू हेब्रिड्स हैमिसेम (ब्रा० और फे०)	
न्यू	
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)	

अनुबंध 2

ओ० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन मूल और सेवाएं अधि प्राप्त करने के लिए मुख्य मार्ग-दर्शन

1. विज्ञापन :

प्रौद्योगिकी खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी सविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में ममाथ्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्त्रोत देशों के स्थानीय प्रति निधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2.1 बोली बाण्ड और गारंटियां :

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इनका कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां अग्रिम बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किसी परिवर्तनों में की गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है तो उसके अधिकार और अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और प्रकार :

संविदाएं निष्पादन काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मर्कों के या एक मुश्न कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए बोली के समन्वय के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के रूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। बास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपकरण और निर्माण के लिए उमी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (इनकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और अधिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का बरतवान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।

- (1) अभिदान किए गए शेरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे व्यापिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में बर्साई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मुख्य समंजन कंडिकाएं :

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत वाली दस्तावेजों में माफ-माफ पारिवायित होना चाहिए। माल की सप्साई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन का उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन भवित्तीय कार्यों के लिए

संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्तर सुपूर्द किए जाने वाले माल के लिए मुख्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फंड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :-

"मैं/हम एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी पात्र संभरक है क्योंकि शेरों का प्रतिशत (%) (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है और प्रतिशत (%) निदेशक (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी) कंपनी (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।"

4.1 मानदण्ड :

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली अन्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि की बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 बाण्ड नामों का प्रयोग :

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुजों की आवश्यकता है या यह आवश्यक किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल बाण्ड नाम, सूची, संख्या और विशेष निर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पथ वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें है।

4.3 गारंटी, निष्पादन बांड और रोक रक्खी गई धनराशि :

नाभरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि, कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार से कमी पाई जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्साई के लिए संविदाओं में ग्राम तौर पर यह बांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रक्खी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रक्खी गई धनराशि का कुल भुगतान का बर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए

शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी प्रथम धांड चुमा जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति :

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से संबंध प्राप्त प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार का संविदा में निर्दिष्ट समय पर प्रथम उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो, तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति :

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने वायित्वों को न पूरा करता उस हिसाब में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है।

(संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)

7. झगड़ों का निपटान :

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों की स्वीकार्य हो, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना:

9.1 बोलियों के प्रामाण्य और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमत समय अधिकार संविदा की महीना और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहाँ पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहाँ पर प्रस्तावित बोलीकारों को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली-भाँति देखभाल करने के लिए आमतौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमत समय प्रत्येक परिणोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रियाविधि:

बोलियों की अंतिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि समय और स्थान की बोली प्रामाण्य में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियाँ निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना बोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि और से पड़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन :

बोली खोलने के पश्चात् किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों की ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े प्रायातक किसी भी बोली खोलने वाले से अपनी बोली

के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के मारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि:

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खोलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित निष्कारियों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जाँच:

बोलियों के खोलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियाँ सामान्यता प्रथम रूप से सही हैं, यदि बोलियाँ मूल रूप से विविष्टीकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तों या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलाप के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं :

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में प्रायातक को चाहिए कि वह इस बात का निश्चय करे कि इस बोलीकार के पास सम्बन्ध संविदा की प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलाप :

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए संसजित बोली की कीमत के प्रतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माणकार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ नक संभव हो वे बातें बोली दस्तावेजों में विविष्टीकृत मानदंड के अनुसार रूप से की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई ही तो बोली में शामिल की गई संसजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा प्रथम मुद्राएँ जिनमें मूल्य प्रांका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनियम की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विनियम बरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियाँ खोलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करने समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना :

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयत्नार्थ उसी विविष्टीकरण पर नई बोली प्रामाण्य नहीं की जानी

चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत में अधिक हो जाती है सभी बोलियों का प्रस्योकार करने के लिए जब औचित्य देवे चाहिए जहाँ (क) बोलियाँ, बोली दस्तावेज के प्राप्य के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों का प्रस्योकार कर दिया जाता है तो ज़रूरी की चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे प्रस्योकरित मित्र की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल्य प्रामाण्य में लांघी गई ऋण व्ययों की धनराशि पर) गवा दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ज़रूरी संभाव्यता संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निष्पत्ति की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा चाहिए कि वह निर्णय को एक भर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पथ व्ययों के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेवारी ले।

अनुबंध-3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्राचना-पत्र

सं० -----दिनांक-----

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परखा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
प्राधिकार कार्य विभाग,
पू० सी० प्रो० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001

विषय :- बैंक क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत आपदा से -----का प्राधान्य।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित बैंक क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन
-----से-----जो कि-----

-----के प्राधान्य के सम्बन्ध में-----
बैंक का नाम जो कि वही होगा चाहिए जो सीधे (क) में सहायता समुदाय संभरक के नाम में माह-माह खोलने के लिए दिया गया है की प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित व्योरे प्रस्तुत करते हैं :-

(क) भारतीय प्राधान्यक का नाम और पता

(ख) प्राधान्यक की संख्या, दिनांक और मूल्य वह नारीक जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके-----क्या वह सीधे नय या औपचारिक ऋण अन्तराष्ट्रीय निधि पर प्राधान्य है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो वा कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम नवीनीकी प्रस्ताव के प्राधान्य पर किया गया है।

(घ) मान का सक्षिप्त विवरण

(ङ) मान का उद्यम देश

889 GI/82-2

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इनर ओन देशों से प्राधान्यित सदस्यों का प्रतिपत्ति।

(छ) संविदा का कुल जहाँ पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाँ पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिये प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुदाय के संभरक के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) समुदाय के संभरक का नाम और पता :-

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र ओन देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गये शेषों का प्रतिपत्ति

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और / या संभरक का निवास स्थान

(4) उन निदेशकों का प्रतिपत्ति जो पात्र ओन देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान धर्मे और संभावित निधि जिनकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्वगी की पूर्ण करने की प्रत्याशित निधि

(ड) भारतीय बैंक टोकियों को भुगतान करने समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिशावेष्टा)।

(ण) पोतलवान अनुषेध वातावरण / पार्ट शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निश्चित कीजिए।

(त) भारत में प्राधान्यक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी साईनेस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों की अधिसूचित कर दी गई है, यदि हा तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संघर्ष जिसके अन्तर्गत आईसीए को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबंध-4

प्राधिकार का प्राप्य

संख्या एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

प्राधिकार कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में,

बैंक ऑफ इण्डिया

टोकियों शाखा

टोकियों (जापान)

विषय :- बैंक क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं०.....के अधीन प्राधान्य साधन-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एड्ड द्वारा बना संलग्न व्योरे के अनुसार सर्वश्री.....के नाम में.....बैंक धनराशि के लिए अग्रद्विनीय साधन-पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा बीजे गए प्रत्येक साक्षर की प्रति आयातक के बैंक, ओ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और इसे पुष्टीकृत की जाए।

साक्षर की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में सभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा भुगतान के साथ ओ० ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतियुति का दावा लम्पान करना चाहिए।

संभर को आपके द्वारा किए गए भुगतान की निधि से और ओ० ई० सी० एफ० द्वारा उसकी प्रतियुति की निधि से दोनों के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा राज किया जाएगा। बैंकों के प्रत्येक खाते जिसमें साक्षर खोलने, रख-रखाव करने और साक्षरों को जारी करने के लिए खर्च भी शामिल है खर्चों कि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संवापन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्च भी विदेशी संभर को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतियुति का दावा ओ० ई० सी० एफ० में नहीं किया जा सकता।

*यह प्राधिकार एक समुद्रपार संभर को के नाम से साथ एक खोलने के लिए है इस संज्ञापन के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के भंडे खोले गए आगे के नए साथ एक या साथ-एक में बांध के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार एक तक बैंक रहेगा।

महोदय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित —

- 1 आयातक को उनके एक संख्या दिनांक के संदर्भ में।
- 2 आयातक के बैंक उनमें निवेशन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा में दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभर को बैंक के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करे। संभरों की चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए को गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समक समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरों को भुगतान करने की निधि को यथा प्रचलित परिचयन की स्थिति पर पर की जाएगी। यह सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि वे निक्षेप सीमा मुक्त निष्कासों के लिए आयातक को आयात दस्तावेजों का मूल मेट देने से पहले कर दिए गए हैं।

ये धनराशियां तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लीम हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध

में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या-184 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या 233 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 24-10-68, सं०-132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-71, संख्या-74 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या-103 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की धार दिया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपॉजिट्स एण्ड एडवांस 843 निचिल डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स फार परमिजिस् एटसेबल एंडाउ परमिजिस् अन्डर केडिट वॉल्यूमिंट 1979-80 के लिए 6.0 बिलियन येन कैडिट (परियोजना महायता (सं० आई० टी० सी० 19) दि गवर्नमेंट ऑफ जापान में" है।

*जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उस की प्रतियुति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निम्नलिखित प्रथम में इस संज्ञापन को भेज दी जानी चाहिए।

जिन मामलों में मुख्य खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लीम हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार भरण जमा किया जाता है, उनके खातों की मूल रूप से एक प्रतिनिधि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देने हुए अवरोधन पर सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी —

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा निबंधक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
ममद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामलों में मुख्य खाता ऊपर उल्लिखित वर्गीकृत द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए मुख्य रूप का पूरा धीरा इन विभाग को भेजना चाहिए।

यदि कोई हा तो, बैंक के खर्च, राज और बैंक ऑफ इंडिया टोकियो शाखा के प्रत्येक खर्च (जिसमें विदेशी संभरों के बैंकों के खर्च भी शामिल है) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को समस्त रूप परा करने पर ही भय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा उचित सूचना बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो, भारतीय दूतावास जापान से सम्बन्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकबरी म्यूडी बिल्डिंग, 4-1, घोडाटमैची-1 कोमे, चियाई-कु टोकियो 100 जापान

4 भारतीय दूतावास टोकियो।

5 अवग सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-5

(ओ० ई० सी० एफ० एन० सी०-1 प्रपत्र)

अर्जेंटेलनीय साथ पत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में

प्रिय महोदय

(संभर का नाम और पता)

यह साक्षर (अधी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋणार सं०

के दिनांक

के अनुमरण से जारी किया गया है।

प्रिय महाशय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम से निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य का लिए बचती हुई छूट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साक्ष्यपत्र स० (यदि कार्ड है) को कुल धनराशि से अधिक नहीं है। इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है —

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

कनीन भान कार्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट ही बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित 'क्रेड' एवं 'डेबिटफाइ'

अथवा दस्तावेज जिसमें

से

तक लदान का गठ्यापन दिया गया हो (सबिदा संख्या

(यदि कार्ड है) के तदर्थ से सश्रित विवरण आगिन बोलतवास स्वीकृत है। वाहतास्तरण स्वीकृत है।

पातलवान बिल जो

स बाव की तिथि का नहीं होना चाहिए।

आदेशों का

19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए।

“अपरिवर्तनीय साक्ष्यपत्र स०

विनाश

19 के अन्तर्गत

निकलवाया गया और आयाम तदर्थ स० (संख्या) यदि कार्ड है, यह क्रेडिट हस्ताक्षरणीय नहीं है।

हम एमद्वारा बचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और हमारा सभी का अनुपालन करते निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशों का दस्तावेजों की सुपुदगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तार पूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट यूनिकाम कस्टम एंड प्रेक्टिस फार ड्राफ्ट्स (1974 रिजिजम) इन्टरनेशनल बैंक ऑफ कामर्स, पब्लिकेशन स० 290 के अधीन है।

सोदा करने वाले बैंक के लिए विषय अनुदेश

उपरोक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए बचन पत्र व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रति-पूर्ति प्राप्त करने के बाद हम बचन देते हैं कि हम सोदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार छूटों की धनराशि को लौटा देंगे।

2 सोदा करने वाले बैंक का यह बचन होगा हम ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजे कि लेब दस्तावेजों की छेदी हुई हवाई डाक द्वारा

का भेज दिए गए हैं।

3 इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के सभी आयाम/सभरक के लेखों के लिए हैं।

अवधीय,

()

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान भर

यह भुगतान हमारी साक्ष्यपत्र स०

का अभिलेख बन है।

1 प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि

मेन जो कि कुल

सबिदा मूल्य के

प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

2 मध्यवर्ती भुगतान (यदि कार्ड है)

धनराशि

मेन

जो कि कुल सबिदा मूल्य का

प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

3 पोतलदान दस्तावेजों के मध्ये भुगतान

धनराशि
सविधा के कुल मूल्य का
प्रतिपादन है।

येन

टिप्पणी —पोतलदान दस्तावेजों के मध्ये पूर्ण भुगतान के मामले में हम संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध-6

(प्रपत्र सं० ई० सी० एफ० एल० सी०-2)

अपरिवर्तनीय साख पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

.....
.....
.....
(संभरक का नाम व पता)

यह साख पत्र राष्ट्रीय और विदेश आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण कागजर
सं० के अनुसरण
दिनांक में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम से निकालने के लिए पूर्ण और मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एंड साइड द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० कायम दिया है जो
येन (येन पहले) की कुल
धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (सविधा और
परियोजना) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नरबी करता है मोश तय
करने के लिए ड्राफ्ट से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० के अन्तर्गत भुना लिए गए हैं से चिह्नित होने चाहिए।
दिनांक

यह क्रेडिट तत्कालस्वीकृत्य नहीं है।

हम एतद्वारा बचन देने हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिनी का
दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से बिस्तार पूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेडिक्ट फार डाक्यूमेंटरी केडिडम (1974 रिबीजन) इन्टर
नेशनल बैम्बर ऑफ कामर्स न० 290" के अधीन है।

सौदा-करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (राष्ट्रीय और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस
क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। आरम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन
के विवरण के बजाए साभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबंधों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों
के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेकिन करने का
बचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मंत्र 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चें संभरक को लेखों के लिए हैं।

भवदीय,

(आधिकारिक बैंक)

द्वारा.....
(आधिकारित हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूचा

यह भुगतान अनुसूची हमारे साथ पत्र सं०
अग है।

का एक अतिरिक्त

1 प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि * येन

कुल सविता मूल्य का

प्रतिफल है

अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि

2 भुगतान बुद्धि

सम्पूर्ण याग की धनराशि

कुल लाभकारी मूल्य का

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाता है ---

येन
प्रतिफल

दय धनराशि

अन्तिम भुगतान तिथि

येन

पहली किस्त येन

दूसरी किस्त येन

अपेक्षित दस्तावेज (आधी धनराशि जसके मातामति प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति किमका एक प्रपत्र सम्मिलित है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक

सर्वप्रथम

सेवा में

(सर्वप्रथम का नाम और पता)

सर्वप्रथम --- अज्ञेय करार सं०

परियोजना से सम्बन्धित

येन के लिए

सं०

मैं, महाहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (अज्ञेय) द्वारा

घोर

दिनांक . . .

कार्यिक सहायता निधि द्वारा

की धनराशि (.

लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूँ।

क अतिरिक्त

के नाम में

द्वारा जारी किए गए साथ पत्र की

दिनांक

क अतिरिक्त समझौता सं०

मे निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार

येन केवल) प्राप्त करने के

()

अज्ञेय

द्वारा

(आधिकृत हस्ताक्षर)

वित्तिक अनुदेश ---

वास्तविक निष्पादन का विवरण सर्वप्रथम सम्मिलित पत्र में दीर्घा जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 53—ITC(PN)/82

New Delhi, the 23rd October, 1982

Subject.—Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of ¥ 6.0 billion for Telecommunications Project (V) of the DGP&T

File No. IPC 23(34) 82.—The terms and conditions governing the issue of import licence in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of ¥ 6.00 billion for telecommunications Project (V) of the DGP&T extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYAN SWAMI, Chief Controller
of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO 53—ITC(PN)/82

Dated the 23rd October, 1982

Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of ¥ 6.0 Billion for Telecommunications Project (V) Extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan.

Section I—General Conditions.

I(i) The Yen Credit of ¥ 6.0 Billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 6,600 million (CII).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P.19". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence to DGP&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed ¥ 6,600 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows:

"..... months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-86.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aii), are given in Annexure-II. However prior approval of the Fund shall be obtained if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund an application for

approval of procurement method(s) signed by duly authorised person together with its reasoning.

Immediately after conclusion of Loan Agreement the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its review. The above documents/application may be forwarded, in duplicate, to the DEA (Japan Section) for transmission to/obtaining approval of OFCE.

II(iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 19 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(v) Eligibility of Supplier.—Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vi) Declaration in Contract.—The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} - \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (name of company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries".

II(vii) Permissible imports from non-eligible source countries.—Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} - \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts :

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 14th May, 82 concerning the Yen Credit No. ID-P. 19 (Project Aid) for Telecommunications Project (V) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No. ID-P. 19 dated 14th May, 82 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under Yen Credit arrangements by the Government of

India on the one hand and the OFCE on the other (d) Certificates (uplicate) in the forms indicated in II(vi).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OFCE :

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OFCE for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P. 19 (Project Aid) for Telecommunication Project (V).

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure :

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OFCE, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Wherafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation.

The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OFCE, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OFCE, Embassy of India Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his banker, the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OFCE.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of credit will be either to the

account of overseas suppliers or the importer. Bank of India, Tokyo will therefore recover all these charges from the suppliers Bank or the importer, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers/importer.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the Bank of India, Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the Bank of India will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/o Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest-payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&F Department (vide Section VI(iv) infra.

Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purpose etc. abroad—Purchase under credits/Loan. Agreements. Loans from the Government of Japan-6.0 billion Yen Credit No. ID-P. 19 for Telecommunications Project (VI)". The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VII(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968. No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971. No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns/in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc. made by Embassy of India, Tokyo, to Bank of India, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII—Miscellaneous provisions :

VII(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VI(iv) Future Instructions.—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (PROJECT AID) No. ID-P. 19 with Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VII(v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports & Exports (Control) Act.

VII(vi) List of Annexures

- Annexure-I.—List of eligible source countries.
- Annexure-II.—Main Guidelines for Procurement.
- Annexure-III.—Request for issue of Letter of Authority.
- Annexure-IV.—Form of Letter of Authority.
- Annexure-V.—Form of Letter of Credit (Applicable) of Physical Imports.
- Annexure-VI.—Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE-I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara :

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana

Burundi
 Cameroon
 Cape Verde Islands
 Central African Rep.
 Chad
 Comoro Islands
 Congo, People's Republic of
 Dahomey
 Equatorial Guinea (1)
 Ethiopia
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Ivory Coast
 Kenya
 Lesotho
 Liberia
 Malagasy Republic
 Malawi
 Mali
 Mauritania, Mauritius
 Mozambique
 Niger
 Portuguese Guinea
 Reunion
 Rhodesia
 Rwanda
 St. Helena and dep (2)
 Sao Tomo and Principe
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Swaziland
 Terro. Affairs and Issas
 Togo
 Uganda
 Un. Rep. of Tanzania
 Upper Volta
 Zaire Republic
 Zambia

III. AMERICA, North and Central.

Bahamas
 Barbados
 Belize
 Bermuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tobago
 West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (4)

(b) Dependencies (5)

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Falkland Islands
 French Guiana
 Guyana
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Emirates (6)
 Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D.R. (7)

VI. ASIA, South

Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of
 Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Taiwan
 Thailand
 Timor
 Viet-Nam, Rep. of
 Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
 Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (8)
 Nauru
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (9)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustace, St. Martin (Southern part).

(4) Main islands: Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(5) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(6) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(7) Including Aden and various sultanates and emirates.

(8) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(9) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a) Member or Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS
AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS
FORMULATED BY O.E.C.F.

I. Advertising :

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts :

II-1. Bid Bonds or Guarantees : Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Condition of Contract : The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3. Type and Size of Contract : Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers : Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price :

- (a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses :

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance :

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract :

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as— per cent (per cent) of the shares are held by nationals of— (eligible source country), and— per cent () of the directors are nationals (eligible source country) and my (our) company has been registered in— (eligible source country)".

IV-1. Standards : If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names : Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money : Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V Liquidated Damage : Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be

made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure: The conditions of the Contract including in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes: Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation: Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract:

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids: The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures: The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alteration of Bids: No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential: Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids: Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of bidders: In the absence of pre-qualifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids: Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent

practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids: Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the borrower's estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract: The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

Request for issue of the Letter of Authority

No. _____ Date: _____

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub: Import of _____ from
Japan under the Yen Credit No. _____ (Project
Aid)

Sir,

In connection with the import of _____ from
_____ under the above mentioned Yen Credit
No. _____ (Project Aid) we furnish the following
particulars to enable you to issue the Letter of Authority
to the _____ (name of the Bank) which
should be the same as given in (n) below for opening a
letter of credit in favour of the overseas supplier concerned).

- Name and Address of the Indian importer.
- Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International Tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- Brief description of the goods.
- Origin of the goods.
- Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

- (g) Gross FOB value of contract (in Yen)
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any
- (i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers
- (k) Name and Address of the overseas supplier :
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted)
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. I.

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject:—Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ———— Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen ———— as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and

charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto ———.

Yours faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to —

1. Importer ———— with reference to their letter No. ———— dated ————

2. Importers' Banker ————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 181-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Accounts to be credited is 'K-Deposits & Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad under Purchase under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—6.0 billion Yen Credit (Project Aid) No. IDP-P. 19 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi

Accounts Officer.

ANNEXURE V
Form OECF-LC IIrrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

To

Date

This Letter of Credit has been issued
pursuant to Loan Agreement No.
dated

(Name and address of the Supplier)

between (Borrower) and THE
OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____
_____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say
yen _____) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following
documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify"

Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ (if any))
from _____ to _____

Partial shipments are _____ permitted _____ Transshipment
is _____ permitted.

Bills of lading must be dated not later than

Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under
, dated _____

irrevocable credit No.

and Import Reference No. (4) _____ (if any)".

this credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and on complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____
3. All banking charges under this credit are for the account of the Importer/Supplier.

Yours faithfully,

(commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount : y_____ being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : y_____ being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : y_____ being _____ % of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI
Form OECF-LC IIIrrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

Date :

To

 (Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of y _____ (Say Yen _____) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No: _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated _____". This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statements of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment (s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/Supplier.

Yours faithfully,

(A commercial bank)

By :

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : y _____
 being _____ % of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement
 Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : y _____
 being _____ % of the total contract price to be paid as follows :

	Amount due	Latest presentation date
1st Instalment :	_____	_____
2nd Instalment :	_____	_____
.....	_____	_____

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No. _____, dated

issued by _____

for _____ in favour of _____

_____ concerning _____ Project under Loan

Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of _____ (Yen _____ only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____, dated _____, between _____ and _____

By : _____
(Borrower)

(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 23, 1982/कार्तिक 1, 1904

No. 187]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1982/KARTIKA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd October, 1982

No. F. 2(115)-B(PB)/82.—In the Gazette of India Extraordinary, Part I—Section 1 dated August 19, 1982/Śravan 28, 1904, in Resolution No. F. 2(115)-B(PB)/82 dated 25th July, 1982 following corrections that have crept in are being published for general information :—

Page No.	Particulars	Reference to column	For	To be read
1	2	3	4	5
2	Resolution	Para 4 last line (overall deficit	1347,59,55,000	1374,59,55,000
5	Payment to worked Lines	Budget Estimate, 1982-83	12,5	12,59
6	145 (iii) Receipts from sur-charge on passenger traffic	Budget Estimate, 1982-83	111,91,11	11,91,11
6	Total—Miscellaneous Receipts	Increase (+) Decrease (—) as compared with Budget 1981-82.	+7,95	—7,95,61
19	137—Roads and Bridges	Accounts 1980-81	2,37,36	2,27,36
20	Heading		Statement I Consolidated Fund of India—Reserve Account—Receipt	Statement I—Consolidated Fund of India—Revenue Account—Disbursement
20	213—Council of Ministers	Budget Estimate, 1982-83	1,73,17	3,73,17

1	2	3	4	5
21	271—Air Force	Accounts 19810-81	9,62,02,22	952,02,22
21	278—Art and Culture	Budget Estimate, 1981-82	9,42,22	19,42,22
21	279—Scientific Services and Research	Budget Estimate, 1982-83	354,05,99	354,05,96
21	Major Head	—	261—Family Welfare	281—Family Welfare
21	281—Family Welfare	Revised Estimate, 1981-82	16,06,11	16,08,11
21	282—Public Health, Sanitation and Water Supply	Budget Estimate, 1981-82	30,396,74	30,36,74
22	297—Foreign Trade & Export Promotion	Revised Estimate, 1981-82	59,41,76	59,41,76
22	-do-	Budget Estimate, 1982-83	445,39,51	545,39,51
22	309—Food	Revised Estimate, 1981-82	708,81,97	708,71,97
23	Holding		Capital Account	Revenue Account
25	468—Miscellaneous General Services.	Account 1980-81	(—)8,43,17	(—)3,43,17
25	Total—Capital Account of Social and Community Services.	Budget Estimate, 1982-83	195,43,10	185,43,01
26	513—Forest	Budget Estimate, 1982-83	2,95,24	2,45,24
28	683—Housing	Budget Estimate, 1981-82	62,52,27	6,52,27
29	721—Village and Small Industries.	Revised Estimate, 1981-82	75,19,06	76,19,06
30	767—Miscellaneous Loans	Revised Estimate, 1981-82	69,98	57,98
30	Total—Consolidated Fund of India-Disbursement.	Budget Estimate, 1981-82	65499,20,71	75499,20,71
31	266—Pensions and other Retirement benefits.	Budget Estimate, 1982-83	67,60	67,61
31	280—Medical	-do-	..	8
31	288—Social Security and Welfare.	-do-	11,45	1,45
31	321—Village and Small Industries.	-do-	5,00,0	5,00,00
32	328—Mines and Minerals.	-do-	5,0	5,00
32	360—Grants-in-aid to State Governments.	-do-	480,35,3	480,35,33
35	Total—Provident Funds	Account 1980-81	673,91,44	673,95,44
35	Total—Other Account	-do-	1207,14,00	1207,64,00
36	C(b)(iii)—Accounts under Indo-US Agreement 1974.	-do-	54,97,56	52,97,56
36	C(b)—Other Deposits	Revised Estimate, 1981-82	579,61,94	589,61,94
37	Grant Total	Budget Estimate, 1982-83	102349,36,13	102345,36,13
37	Total	-do-	102,400,34,14	102396,34,14
38	B(a)(viii)—Posts and Telegraphs-Capital Reserve Fund.	-do-	250,00,0	250,00,00
38	B(a)(ix)—Other Reserve Funds	-do-	3,06,20	3,06,22
39	Total—Suspense and Miscellaneous.	Revised Estimate 1981-82	(—)4587,87,5	(—)4587,87,52
40	Grand Total	-do-	Grant Total (I—II—III)	Grand Total—(I+II+III)
40	-do-	Budget Estimate 1982-83	102349,69,68	102345,69,68
40	Total	-do-	102400,34,14	102396,34,14

M D PAL, Director
(Budget Division)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 1982/कार्तिक 3, 1904
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 1982/KARTIKA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियमन

सार्वजनिक सूचना सं० : 54-आईटीसी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1982

विषय : 1982-83 के लिए आयात एवं निर्यात नीति

नि० सं० आई पी सी/4/3(261)/87/80-811.—वाणिज्य मंत्रालय
की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आईटीसी (पी एन)/82, दिनांक 5
अप्रैल, 1982 के अंतर्गत प्रकाशित तथा संशोधित अप्रैल, 1982—मार्च,
1983 के लिए आयात एवं निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता
है।

2 1982-83 के लिए आयात एवं निर्यात नीति में निम्नलिखित
संशोधन उचित स्थानों पर किए जाएंगे —

क्रम सं०	1982-83 के लिए आयात- निर्यात नीति (जिल्द-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
96	प्रतिष्ठ सं० 33 “कीटनाशी, महा- मारी नाशी और घासपात नाशी”	वर्तमान प्रतिष्ठ सं० 33(21) के बाद निम्नलिखित उप-प्रतिष्ठियां शामिल की जाएंगी :— “(22) कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स — (1) डेकामेथ्रीन (2) परमेथ्रीन	

1	2	3	4
			(3) साइपरमेथ्रीन (4) फिनवालेरेट (23) घासपात नाशी: (1) आईसीप्रोट्यूरोन (2) मेथाक्जेंथिथीजुरोन (3) सेटाक्मुरोन
2.	104	प्रतिष्ठ सं० 399 वर्तमान कोष्ठक में “पाइरे- “कृत्रिम पाइरोथ्रोइड्स थोइस शब्द के बाद निम्न- (इसमें कृत्रिम लिखित को जोड़ा जाएगा:— पाइरेथ्रोइड्स भी “डोका/मेथ्रीन, परमेथ्रीन, साइ- शामिल हैं) परमेथ्रीन फिनवालेरेट को छोड़कर”	

3 वे नियम नवन और व्यापार सदन जो अपने अतिरिक्त लाइसेंसों
के भूदे उपर्युक्त क्रम सं० 1 और 2 की मदों का आयात करने के लिए
पात्र हैं, खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत क्रम सं० 2 की मदों का आयात
करने के लिए पात्र वास्तविक उपयोगता (प्रयोगिक) और आयात एवं
निर्यात नीति (जिल्द-1) की कठिका 138 के अंतर्गत इन मदों का आयात
करने के लिए पात्र आरक्षी लाइसेंस धारक इस सार्वजनिक सूचना की
तारीख से पहले ही खोजे गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय
साक्ष्यपत्रों की सीमा तक को छोड़कर उपर्युक्त मदों का आयात करने के
लिए इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार पात्र नहीं होंगे।

4. सन् 1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) के पृष्ठ 159 पर के परिशिष्ट 17 में "सामान्य शर्तों" की कंडिका-5 के आधार पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय लाइसेंस हन मदों के आयात के लिए वैध नहीं होंगे, लेकिन यदि वे मद परिशिष्ट 17 में संगत निर्यात उत्पाद के मामले के कालम-4 या 5 में आयात के लिए विशेष रूप से उल्लिखित हों अथवा अधिनियम/अप्रदान लाइसेंसों के अन्तर्गत वे मद विशेष से खी गई हों तो वे हमें शामिल नहीं हैं।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निदेशक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 54-ITC-(PN)/82

New Delhi the 25th October, 1982

Subject :—Import & Export Policy for 1982-83.

F. No. IPC/4/3(261)/87-/80-81 :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1982—March, 1983, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 16-ITC (PN)/82 dated the 5th April, 1982, as amended.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import & Export Policy for 1982-83:—

S. No.	Page Number of Import & Export Policy (Volume-I) for 1982-83	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	96	Entry No. 33, "Insecticides, Pesticides and Weedicides"	After the existing sub-entries No. 33(21), the following new sub-entries shall be inserted :— "(22) Synthetic Pyrethroids:— (i) Decamethrin

1	2	3	4
			(ii) Permethrin (iii) Cypermethrin (iv) Fenvalrate (23) Weedicides:— (i) Isoproturon (ii) Methabenzthiazuron. (iii) Metoxuron".
2.	104	Entry No. 399 "Synthetic Pyrethrum (including synthetic pyrethroids)"	After the existing word "Pyrethroids", in brackets, the following shall be added:— "Other than decamethrin, permethrin cypermethrin, fenvalrate".

3. Export Houses and Trading Houses eligible to import the items at S. Nos. 1 and 2 above against their Additional licences Actual Users (Industrial) eligible to import items at S. No. 2 under O.G.L and REP licence-holders eligible to import these items under para 138 of Import & Export Policy (Volume-I), shall not be eligible in pursuance of this Public Notice, to import the said items except to the extent of irrevocable letters of credit already opened and established before the date of this public Notice.

4. It may also be clarified that by virtue of para 5 of the "General Conditions" in Appendix-17 at page 159 of Import & Export Policy (Volume-I) of 1982-83, REP licences shall not be valid for import of these items except if these items are specifically described for import in Column 4 or Column 5 against the relevant export product in Appendix 17 or against an Advance/Imprest licence specifically containing these items.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 5, 1982/कार्तिक 14, 1904

No. 189]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 1982/KARTIKA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय
(श्रम विभाग)

संवरण

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1982

सं० यू० 23013/8/82/एल डब्ल्यू—राजस्थान उड़ीसा और बिहार से सतत-समय पर शिवाग्नि प्राप्त हुई है जो इन राज्यों से दिल्ली जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को प्रवास करने वाले उप-प्रवास श्रमिकों की फलवारी तथा रहन सहन की असुविधाओं व शराबियों के कारण है। श्रम प्रदेग में महाराष्ट्र विशेष रूप से बहलन बर्बर शहर को प्रवास करने वाले श्रमिकों द्वारा अनुभव की गई सदाश कठिनाइयों को भी सूचित किया गया है। उपप्रवास श्रमिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों पर श्रम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 21 अगस्त, 1982 को नई दिल्ली में हुई 11 राज्यों के श्रम सचिवों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। यह मामला हुआ कि अधिकांश राज्यों ने श्रम-राज्यिक प्रवास कर्मकार (नियोजन विनिर्देशन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अधिनियमों को नहीं माना और अधिनियम नहीं किया है जिससे उक्त अधिनियम के उद्देश्यों का लागू करने में बाधा पड़ती है। यह मामला हुआ कि इन बीच संबंधित राज्यों व अर्थात् यह राज्य जहाँ से श्रमिक जाते हैं और वह राज्य जहाँ वे जाते हैं अधिनियमों का संयुक्त टीम की प्रवर्तन श्रमिकों की समस्याओं के कुछ विशेष पक्षों पर विचार करने के लिए गठित बैठक हो जाती है। यह भी सुझाव दिया गया कि कार्य-स्थलों का दौरा करते प्रवास श्रमिकों की वास्तविक शर्तें तथा रहन-सहन व शराबियों के बारे में संयुक्त अध्ययन किए जाएं ताकि उनकी शर्तें तथा रहन सहन व शराबियों की प्रत्यक्ष जानकारी हो सके तथा विशेषज्ञ शिवाग्नि पर भी विचार किया जा सके। तदनुसार,

केन्द्र व तथा संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित संयुक्त अध्ययन टीमों का गठन करने का निर्णय किया गया है। अध्ययन टीमों का गठन तथा उनके विचारार्थ विवरण निम्न होंगे—

2 गठन

संयुक्त अध्ययन टीम सं० I

1 श्री एम० के० दास, सदस्य-संयोजक
क्षेत्रीय श्रम-युक्त (केन्द्रीय)
बम्बई।

2 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित सदस्य
किया जाने वाला प्रतिनिधि

3 महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
रिक्त जाने वाला प्रतिनिधि

संयुक्त अध्ययन टीम सं० II

1 श्री ए० पी० मन्गेर। सदस्य-संयोजक
क्षेत्रीय श्रम-युक्त, (केन्द्रीय)
बम्बई।

2 बिहार सरकार, पटना द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि।

3 उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर द्वारा नामित सदस्य
किया जाने वाला प्रतिनिधि

4 राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

5. पञ्जाब सरकार, जंझीगढ़ द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि
6. हरियाणा सरकार, जंझीगढ़ द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि
7. हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि
8. जम्मू व कश्मीर सरकार, श्री नगर द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि
9. दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा सदस्य
नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

3. संयुक्त अध्ययन टीमों के विचारार्थ विषय

उपर्युक्त संयुक्त अध्ययन टीम (1) और (2) प्रतिनिधि राज्यों का यथाशीघ्र दौरा करेगी ताकि

- (1) उन प्रतिनिधिक राज्यों के कार्य-स्थलों का दौरा किया जा सके जहाँ प्रवासी श्रमिक नियोजित हैं और जिनके बारे में विशेष शिकायत प्राप्त हुई है।
- (2) प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का, इन विशिष्ट शिकायतों के मर्म में, तुरन्त अध्ययन किया जा सके।
- (3) प्रवासी श्रमिकों की अन्य शिकायतों को, यदि कोई हो, (विशिष्ट शिकायतों के अनिश्चित) तत्काल दूर करने के लिए सामान्य निरोक्षण किया जा सके।

4. संयुक्त अध्ययन टीम नं० 1 का मुख्यालय बम्बई और संयुक्त अध्ययन टीम नं० 2 का मुख्यालय जंझीगढ़ में होगा।

5. दोनों टीमों अपनी रिपोर्टें श्रम मंत्रालय के सचिव को यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगी जिनमें प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के विशिष्ट उपचारों को निदिष्ट किया जाएगा।

लक्ष्मीधर मिश्रा, महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (Department of Labour)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th November, 1982

No. U-23013/(8)/82/LW.—Complaints have been received from time to time from Rajasthan, Orissa and Bihar about the unsatisfactory working and living conditions of migrant workers migrating from these States to Delhi, Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Similar difficulties faced by labourers migrating from Andhra Pradesh to Maharashtra, particularly to Greater Bombay city area have also been reported. The various problems and difficulties concerning the migrant labour were discussed in a meeting held with Labour Secretaries of 11 States at New Delhi, on the 21st August, 1982, under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Labour. It was found that a number of States have not framed and notified the Rules under the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 which made the task of enforcement of the provisions of that Act difficult. It was felt that in the meanwhile a Joint Team of officials of the States concerned, i.e. of the State from where the workers migrate and the State to which they migrate, may meet periodically to deal with certain specific aspects of the problems of migrant labour. It was also suggested that joint studies may be carried out on the actual working and living conditions of the migrant workers by visiting the work-sites to have a first-hand knowledge of the working and living conditions and also to deal with specific complaints. Accordingly, it has been decided to

constitute joint study teams consisting of the officials of the Central and the State Governments concerned. The composition of the study teams and the terms of reference will be as under :—

2. Composition:—

Joint Study Team No. I

- (1) Shri S. K. Das,
Regional Labour Commissioner
(Central), Bombay. Member-Convener
- (2) Representative to be nominated
by the Government of
Andhra Pradesh. Member.
- (3) Representative to be
nominated by the Govt.
of Maharashtra. Member

Joint Study Team No. II

- (1) Shri O. P. Saxena
Regional Labour Commissioner (C)
Chandigarh. Member-Convener
- (2) Representative to be nominated
by the Government of Bihar,
Patna. Member
- (3) Representative to be nominated
by the Govt. of Orissa,
Bhubaneswar. Member
- (4) Representative to be nominated
by the Government of
Rajasthan, Jaipur. Member
- (5) Representative to be nominated
by the Govt. of Punjab,
Chandigarh. Member
- (6) Representative to be nominated
by the Govt. of Haryana,
Chandigarh. Member
- (7) Representative to be nominated
by the Govt. of Himachal
Pradesh, Simla. Member
- (8) Representative to be nominated
by the Govt. of Jammu and
Kashmir, Srinagar. Member
- (9) Representative to be nominated
by the Delhi Administration,
Delhi. Member

3. Terms of reference of the Joint Study Teams.—The Joint Study Teams (I) and (II) mentioned above will visit the representative States as early as possible in order to—

- (i) visit the work-sites of the representative States where migrant workmen are employed and in respect of which specific complaints have been received.
- (ii) make an on-the-spot study of the problems of migrant labour with reference to these specific complaints ;
- (iii) carry out general inspection with a view to redressing the other grievances of the migrant workers on the spot, if any (over and above the specific complaints).

4. The headquarters of the Teams will be Bombay for Joint Study Team No. I and Chandigarh for Joint Study Team No. II respectively.

5. The two Teams will submit their reports, indicating specific remedies to the problems of migrant labour, to the Secretary, Ministry of Labour as early as possible.

LAXMIDHAR MISHRA, Director General & Jt. Secy.